THE PRIVATE SECURITY AGENCIES (REGULATION) ACT, 2005

(29 of 2005)

[23rd June, 2005]

An Act to provide for the regulation of private security agencies and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

- Short title, extent and commencement: (1) This Act may be called the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005.
 - (2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
- (3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by **Notification** in the Official Gazette, appoint.
 - 2. Definitions: In this Act, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "armoured car service" means the service provided by deployment of armed guards along with armoured car and such other related services which may be notified by the Central Government or as the case may be, the State Government from time to time;
 - (b) "Controlling Authority" means the Controlling Authority appointed under sub-section (1) of section 3;
 - (v) "licence" means a licence granted under sub-section (5) of section 7;
 - (d) "notification" means a notification published in the Official Gazette;
 - (e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
 - (f) "private security" means security provided by a person, other than a public servant, to protect or guard any person or property or both and includes provision of armoured car service;
 - (g) "private security agency" means a person or body of persons other than a government agency, department or organisation engaged in the business of providing private security services including training to private security guards or their supervisor or providing private security guards to any industrial or business undertaking or a company or any other person or property;
 - (h) "private security guard" means a person providing private security with or without arms to another person or property or both and includes a supervisor;

Chim Into force on 15.3.2006, vide S.O. 317(E), dated 14th March, 2006.

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 29)

[23 जून, 2005]

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के विनियमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ: (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 है।
 - (2) इसका विस्तार जम्मू -कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है।
 - (3) यह उस तारीख¹ को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
 - 2. परिभाषा : इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) ''बख्तरबंद कार सेवा'' से बख्तरबंद कार के साथ सशस्त्र रक्षकों के अभिनियोजन द्वारा प्रदान की गई सेवा और ऐसी अन्य संबंधित सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो समय-समय पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं;
 - (ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी
 - (ग) "अनुज्ञप्ति" से धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;
 - (घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
 - (ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
 - (च) ''प्राइवेट सुरक्षा'' से, किसी व्यक्ति या संपत्ति अथवा दोनों की संरक्षा या रक्षा करने के लिए, लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत बख्तरबंद कार सेवा की व्यवस्था भी है;
 - (छ) ''प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण' से किसी औद्योगिक या कारबार उपक्रम या किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं जिनके अंतर्गत प्राइवेट सुरक्षा गाडौँ या उनके पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना भी है, उपलब्ध कराने या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ, सरकारी अभिकरण, विभाग या संगठन से भिन्न, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है;
 - (ज) "प्राइवेट सुरक्षा गार्ड" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को शस्त्र सहित या उनके बिना प्राइवेट सुरक्षा प्रदान कर रहा है और उसके अंतर्गत पर्यवेक्षक भी है:

Came into force on 15.3.2006, vide S.O. 317(E), dated 14.3.2006.

- (i) "State Government", in relation to a Union territory, includes the Administrator of that Union territory appointed by the President under article 239 of the Constitution.
- 3. Appointment of Controlling Authority: (1) The State Government shall by notification, designate an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Home Department of the State or an equivalent officer to be the Controlling Authority, for the purposes of this Act.
- (2) The State Government may, for efficient discharge of functions by the Controlling Authority, provide it with such other officers and staff as that Government considers necessary.
- 4. Persons or Private Security Agency not to engage or provide private security guard without licence: No person shall carry on or commence the business of private security agency, unless he holds a licence issued under this Act:

Provided that the person carrying on the business of private security agency, immediately before the commencement of this Act, may continue to do so for a period of one year from the date of such commencement and if he has made an application for such licence within the said period of one year, till the disposal of such application:

Provided further that no private security agency shall provide private security abroad without obtaining permission of the Controlling Authority, which shall consult the Central Government before according such permission.

- 5. Eligibility for licence: An application for issue of a licence under this Act shall only be considered from a person after due verification of his antecedents.
- 6. Persons not eligible for licence: (1) A person shall not be considered for insue of a licence under this Act, if he has been
 - (a) convicted of an offence in connection with promotion, formation or management of a company (any fraud or misfeasance committed by him in relation to the company), including, an undischarged insolvent; or
 - (b) convicted by a competent court for an offence, the prescribed punishment for which is imprisonment of not less than two years; or
 - (c) keeping links with any organisation or association which is banned under any law on account of their activities which pose threat to national security or public order or there is information about such a person indulging in activities which are prejudicial to national security or public order; or
 - (d) dismissed or removed from Government service on grounds of misconduct or moral turpitude.

- (झ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है।
- 3. नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति : (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के गृह विभाग में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या समतुल्य अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी।
- (2) राज्य सरकार, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, उसे ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध करा सकेगी, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।
- 4. व्यक्तियों या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति के बिना प्राइवेट सुरक्षा गार्ड न रखना या उपलब्ध न कराना : कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार तभी करेगा या प्रारंभ करेगा, जब उसके पास इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति हो :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार कर रहा है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अविध तक और यदि उसने एक वर्ष की उक्त अविध के भीतर ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर दिया है तो ऐसे आवेदन के निपटारे तक, ऐसा कारबार करता रहेगा:

परंतु यह और कि कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विदेश में प्राइवेट सुरक्षा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना प्रदान नहीं करेगा जो ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा।

- 5. अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता : इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए किसी व्यक्ति से आवेदन पर केवल उसके पूर्ववत के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।
- 6. वे व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति के लिए पात्र नहीं हैं: (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह
 - (क) किसी कंपनी के संप्रवर्तन, उसके बनाने या प्रबंध के संबंध में किसी अपराध के लिए (उसके द्वारा कंपनी के संबंध में किया गया कोई कपट या अपकरण) सिद्धदोष किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है; या
 - (ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है, जिसके लिए विहित दण्ड दो वर्ष से अन्यून का कारावास है; या
 - (ग) किसी ऐसे संगठन या संगम से सम्पर्क रखता है जिसे उसके ऐसे क्रियाकलापों के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरा है या ऐसे व्यक्ति के बारे में यह जानकारी है कि वह उन क्रियाकलापों में लिप्त है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकृल प्रभाव डालते हैं; या
 - (घ) अवचार या नैतिक अद्यमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है।

- (2) A company, firm or an association of persons shall not be considered for issue of a licence under this Act, if, it is not registered in India, or having a proprietor or a majority shareholder, partner or director, who is not a citizen of India.
- 7. Application for grant of licence: (1) An application for grant of licence to a private security agency shall be made to the Controlling Authority in such form as may be prescribed.
- (2) The applicant shall submit an affidavit incorporating the details in relation to the provisions contained in section 6, ensure the availability of the training for its private security guards and supervisors required under sub-section (2) of section 9, fulfilment of conditions under section 11 and of cases registered with police or pending in a court of law involving the applicant.
 - (3) Every application under sub-section (1) shall be accompanied by a fee of -
 - (a) rupees five thousand if the private security agency is operating in one district of a State;
 - (b) rupees ten thousand if the agency is operating in more than one but up to five districts of a State; and
 - (c) rupees twenty-five thousand if it is operating in the whole State.
- (4) On receipt of an application under sub-section (1), the Controlling Authority may, after making such inquiries as it considers necessary and obtaining no objection certificate from the concerned police authority, by order in writing, either grant a licence or refuse to grant the same within a period of sixty days from the date of receipt of application with complete particulars and the prescribed fee:

Provided that no order of refusal shall be made unless -

- (a) the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard;
 and
- (b) the grounds on which licence is refused is mentioned in the order.
- (5) A licence granted under this section
 - (a) shall be valid for a period of five years unless the same is cancelled under sub-section (1) of section 13;
 - (b) may be renewed from time to time after the expiry of five years, for a further period of five years on payment of such fee as may be prescribed; and
 - (c) shall be subject to such conditions as may be prescribed.
- 8. Renewal of licence: (1) An application for renewal of licence shall be made to the Controlling Authority, not less than forty-five days before the date of expiry of the period of validity thereof, in such form as may be prescribed and shall be

- (2) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए, किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि, वह भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या जिसका स्वत्वधारी या बहुमत शेयर धारक, भागीदार या निदेशक ऐसा है जो भारत का नागरिक नहीं है।
- 7. अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन: (1) किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जो विहित किया जाए।
- (2) आवेदक धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में ब्यौरे समाविष्ट करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित अपने प्राइवेट सुरक्षा गाडों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, धारा 11 के अधीन और पुलिस में रजिस्ट्रीकृत या न्यायालय में लंबित मामलों की, जिनमें आवेदक लिप्त है, शर्तों को पूरा करेगा।
 - (3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ ---
 - (क) यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण किसी राज्य के एक जिले में कार्य कर रहा है तो पांच हजार रुपए की फीस होगी;
 - (ख) यदि अभिकरण किसी राज्य के एक से अधिक किन्तु पांच जिलों तक में कार्य कर रहा है तो दस हजार रुपए की फीस होगी; और
 - (ग) यदि वह संपूर्ण राज्य में कार्य कर रहा है तो पच्चीस हजार रुपए की फीस होगी।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, और संबद्ध पुंलिस प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, आवेदन की पूर्ण विशिष्टियों और विहित फीस के साथ प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर या तो अनुक्षम्ति अनुदत्त कर सकेगा या अनुक्षम्ति अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु आवेदन अस्वीकार किए जाने का कोई आदेश तभी किया जाएगा जब —

- (क) आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो; और
- (ख) वे आधार, जिन पर अनुज्ञप्ति से इंकार किया जाता है, आदेश में वर्णित किए गए हों।
- (5) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति
 - (क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी, जब तक कि उसे धारा 13 की उपधारा
 (1) के अधीन रद नहीं कर दिया जाता;
 - (ख) पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, समय-समय पर पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी; और
 - (ग) ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगी, जो विहित की जाएं।
- 8. अनुज्ञप्ति का नवीकरण: (1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अविध की समाप्ति की तारीख से कम-से-कम पैतालीस दिन पूर्व ऐसे प्ररूप

accompanied by the requisite fee and other documents required under sections 6, 7 and 11 of this Act.

- (2) The Controlling Authority shall pass an order on application for renewal of licence within thirty days from the date of receipt of application complete in all respects.
- (3) On receipt of an application under sub-section (1), the Controlling Authority may, after making such inquiries as he considers necessary and by order in writing, renew the licence or refuse to renew the same:

Provided that no order of refusal shall be made except after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.

- 9. Conditions for commencement of operation and engagement of supervisors: (1) Every private security agency shall, within six months of obtaining the licence, commence its activities.
- (2) Every private security agency shall ensure imparting of such training and skills to its private security guards and supervisors as may be prescribed:

Provided that the person carrying on the business of private security agency, before the commencement of this Act, shall ensure the required training to its security guards and supervisors within a period of one year from the date of such commencement.

- (3) Every private security agency shall, within sixty days from the date of issue of the licence, employ such number of supervisors, as may be prescribed.
- (4) A private security agency shall not employ or engage a person as a supervisor unless he fulfils the conditions specified in sub-section (1) of section 10.
- (5) While engaging a supervisor of private security guards, every private security agency shall give preference to a person who has experience of serving in the Army, Navy, Air Force, any other Armed forces of the Union or State Police including armed constabularies and Home Guards for a period of not less than three years.
- 10. Eligibility to be a private security guard: (1) A private security agency shall not employ or engage any person as a private security guard unless he
 - (a) is a citizen of India or a citizen of such other country as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify;
 - (b) has completed eighteen years of age but has not attained the age of sixtyfive years;
 - satisfies the agency about his character and antecedents in such manner as may be prescribed;
 - (d) has completed the prescribed security training successfully;

में, जो विहित किया जाए, किया जाएगा और उसके साथ अपेक्षित फीस और इस अधिनियम की घारा 6, धारा 7 तथा धारा 11 के अधीन अपेक्षित अन्य दस्तावेज भी होंगे।

- (2) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख़ से तीस दिन के अंदर आदेश पारित करेगा।
- (3) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे और लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा:

परंतु इंकार करने का कोई आदेश, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा।

- 9. प्रचालन प्रारंभ करने और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की शर्ते : (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के छह मास के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करेगा।
- (2) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गाडों और पर्यवेक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण और कुशलताएं, जो विहित किए जाएं, देना सुनिश्चित करेगा :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने सुरक्षा गाडों और पर्यवेक्षकों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।

- (3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसी संख्या में, जो विहित की जाए, पर्यवेक्षकों को नियोजित करेगा।
- (4) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को तभी नियोजित करेगा या रखेगा जब वह धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।
- (5) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, प्राइवेट सुरक्षा गाडों के किसी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करते समय उस व्यक्ति की, जिसके पास सेना, नौसेना, वायु सेना, संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या राज्य पुलिस, जिसके अंतर्गत सशस्त्र पुलिस और होम गार्ड भी हैं; तीन वर्ष से अन्यून की अवधि की सेवा का अनुभव हो, अधिमानता देगा।
- 10. प्राइवेट सुरक्षा गार्ड बनने के लिए पात्रता : (1) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में किसी व्यक्ति को तभी नियोजित करेगा या रखेगा, जब
 - (क) वह भारत का नागरिक हो या ऐसे अन्य देश का नागरिक हो जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;
 - (ख) उसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किन्तु पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो;
 - (ग) उसने अभिकरण का अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, समाधान कर दिया हो;
 - (घ) उसने विहित सुरक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

- (e) fulfils such physical standards as may be prescribed; and
- (f) satisfies such other conditions as may be prescribed.
- (2) No person who has been convicted by a competent court or who has been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency shall be employed or engaged as a private security guard or a supervisor.
- (3) Every private security agency may, while employing a person as a private security guard, give preference to a person who has served as a member in one or more of the following, namely:—
 - (i) Army;
 - (ii) Navy;
 - (iii) Air Force;
 - (iv) any other armed forces of the Union;
 - (v) Police, including armed constabularies of States; and
 - (vi) Home Guards.
- 11. Conditions of licence: (1) The State Government may frame rules to prescribe the conditions on which licence shall be granted under this Act and such conditions shall include requirements as to the training which the licensee is to undergo, details of the person or persons forming the agency, obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority regarding any change in their address, change of management and also about any criminal charge made against them in the course of their performance of duties of the private security agency or as the case may be, a private security guard employed or engaged by them.
- (2) The State Government may make provision in the rules to verify about imparting of required training by the private security agency under sub-section (2) of section 9 and to review continuation or otherwise of licence of such private security agency which may not have adhered to the condition of ensuring the required training.
- 12. Licence to be exhibited: Every private security agency shall exhibit its licence or copy thereof in a conspicuous place of its business.
- 13. Cancellation and suspension of licence: (1) The Controlling Authority may cancel any licence on any one or more of the following grounds, namely:—
 - (a) that the licence has been obtained on misrepresentation or suppression of material facts;
 - (b) that the licence holder has used false documents or photographs;

- (इ) वह ऐसे शारीरिक मानदंडों को पूरा करता हो जो विहित किए जाएं; और
- (च) वह ऐसी अन्य शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करता हो।
- (2) ऐसा कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल, किसी राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में, सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा।
- (3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, किसी व्यक्ति को प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित करते समय, ऐसे व्यक्ति की अधिमानता दे सकेगा, जिसने निम्नलिखित में किसी एक या अधिक में उसके सदस्य के रूप में सेवा की है:-
 - (i) सेना;
 - (ii) नौसेना;
 - (iii) वायु सेना;
 - (iv) संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल;
 - (v) पुलिस, जिसके अंतर्गत राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी है; और
 - (vi) होमगार्ड।
- 11. अनुज्ञप्ति की शर्ते: (1) राज्य सरकार उन शर्तों को विहित करने के लिए नियम विरचित कर सकेगी जिन पर इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी और ऐसी शर्तों में अपेक्षाएं जो उस प्रशिक्षण के विषय में जिसे अनुज्ञप्तिधारी को लेना है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों, जिनसे अभिकरण बना है, का ब्यौरा नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर उनके पते में किसी परिवर्तन, प्रबंध में परिवर्तन के संबंध में और उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के कर्त्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरुद्ध ऐसे किसी दाण्डिक आरोप के संबंध में टी जाने वाली सूचना की बाध्यता भी है।
- (2) राज्य सरकार धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण की जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, अनुज्ञप्ति को जारी रखने का या अन्यथा के पुनर्विलोकन करने का नियमों में उपबंध कर सकेगी।
- 12. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शित किया जाना : प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपनी अनुज्ञप्ति या उसकी प्रति अपने कारबार के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
- 13. अनुज्ञप्ति का रहकरण और निलंबन: (1) नियंत्रक प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर रह कर सकेगा, अर्थात्:-
 - (क) कि अनुज्ञप्ति तात्विक तथ्यों के व्यपदेशन पर या उनको छुपाकर अभिप्राप्त की गई है;
 - (ख) कि अनुज्ञप्तिधारी ने मिथ्या दस्तावेजों या फोटोग्राफों का उपयोग किया है;

- (c) that the licence holder has violated the provisions of this Act or the rules made thereunder or any of the conditions of the licence;
- (d) that the licence holder has misused information obtained by him during the discharge of his duties as the private security agency to any industrial or business undertaking or a company or any other person;
- (e) that the licence holder by using any letter-head, advertisement or any other printed matter or in any other manner represented that the private security agency is an instrumentality of the Government or such agency is or has been using a name different from that for which licence has been granted;
- (f) that the licence holder is or has been impersonating or permitting or aiding or abetting any body to impersonate as a public servant;
- (g) that the private security agency had failed to commence its activities or to engage a supervisor within the specified time period;
- (h) that the licence holder is or has wilfully failed or refused to render the services agreed to any person;
- (i) that the licence holder has done any act which is in violation of a court order or an order of a lawful authority or is or has been advising, encouraging or assisting any person to violate any such order;
- that the licence holder has violated the provisions of the Acts given in the Schedule which may be modified by the Central Government, by notification, in the Official Gazette;
- (k) that there have been repeated instances when the private security guard or guards provided by the private security agency —
 - failed to provide private security or were guilty of gross negligence in not providing such security;
 - (ii) committed a breach of trust or misappropriated the property or a part thereof which they were supposed to protect;
 - (iii) were found habitually drunk or indisciplined;
 - (iv) were found to be involved in committing crimes; or
 - (v) had connived or abetted a crime against the person or property placed under their charge; or
 - (1) that the licence holder has done any act which poses a threat to national security, or did not provide assistance to the police or other authority in the discharge of its duties or acted in a manner prejudicial to national security or public order or law and order.
- (2) Where the Controlling Authority, for reasons to be recorded in writing, is satisfied that pending the question of cancelling of licence on any of the grounds

- (ग) कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का अतिक्रमण किया है;
- (घ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने किसी औद्योगिक या कारबार उपक्रम या कंपनी या किसी व्यक्ति के यहां प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई जानकारी का दुरुपयोग किया है;
- (ङ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने, किसी शीर्षनामा विज्ञापन या किसी अन्य मुद्रित सामग्री का उपयोग करके या किसी अन्य रीति से यह व्यपदेशन किया है कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण सरकार का एक अभिकरण है या ऐसा अभिकरण उस नाम से भिन्न किसी नाम का उपयोग कर रहा है जिस नाम से उसे अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है:
- (च) कि अनुज्ञप्तिधारी लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपण कर रहा है या किसी व्यक्ति को उस रूप में प्रतिरूपण करने के लिए दे रहा है या सहायता कर रहा है या दुष्प्रेरित कर रहा है;
- (छ) कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनिर्दिष्ट समयाविध के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करने में या पर्यवेक्षक नियुक्त करने में असफल रहा था;
- (ज) कि अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को करार की गई सेवाएं प्रदान करने में जानबूझकर असफल रहा है या उसने सेवाएं प्रदान करने से इंकार कर दिया है;
- (झ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कार्य किया है जो किसी न्यायालय के आदेश या किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी के आदेश के अतिक्रमण में है या वह ऐसे किसी आदेश का अतिक्रमण करने के लिए किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है या सहायता दे रहा है;
- (ञ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुसूची में दिए गए अधिनियमों के उपबंधों का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपांतरित किए जा सकेंगे, अतिक्रमण किया है;
- (ट) कि इस बात के अनेक उदाहरण रहे हैं जब प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड;=
 - (i) प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है या रहे हैं या ऐसी सुरक्षा प्रदान न करने में घोर उपेक्षा के दोषी थे:
 - (ii) उन्होंने न्यास भंग किया है या उस संपत्ति या उसके किसी भाग का दुर्विनियोग किया है जिसकी संरक्षा करने की उनसे प्रत्याशा की गई थी;
 - (iii) आदतन नशे में या अनुशासनहीन पाए गए थे;
 - (iv) अपराध करने में लिप्त पाए गए थे; या
 - उन्होंने उनके प्रभार में रखे गए व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अपराध की मौनानुमित दी थी या उन्होंने उसके लिए दुष्प्रेरित किया था;
- (ठ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ है या पुलिस को या अन्य प्राधिकारी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान न की या उसने ऐसी रीति से कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था या विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (2) जहां नियंत्रक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि उपर्युक्त उपधारा (1) में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति के रहकरण के प्रश्न के लंबित

 (ग) कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का अतिक्रमण किया है;

(घ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने किसी औद्योगिक या कारबार उपक्रम या कंपनी या किसी व्यक्ति के यहां प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके द्वारा अभिप्राप्त

की गई जानकारी का दुरुपयोग किया है;

(ङ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने, किसी शिर्षनामा विज्ञापन या किसी अन्य मुद्रित सामग्री का उपयोग करके या किसी अन्य रीति से यह व्यपदेशन किया है कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण सरकार का एक अभिकरण है या ऐसा अभिकरण उस नाम से भिन्न किसी नाम का उपयोग कर रहा है जिस नाम से उसे अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है;

(च) कि अनुज्ञप्तिधारी लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपण कर रहा है या किसी व्यक्ति को उस रूप में

प्रतिरूपण करने के लिए दे रहा है या सहायता कर रहा है या दुष्प्रेरित कर रहा है;

 (छ) कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनिर्दिष्ट समयाविध के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करने में या पर्यवेक्षक नियुक्त करने में असफल रहा था;

(ज) कि अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को करार की गई सेवाएं प्रदान करने में जानबूझकर असफल रहा

है या उसने सेवाएं प्रदान करने से इंकार कर दिया है;

- (झ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कार्य किया है जो किसी न्यायालय के आदेश या किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी के आदेश के अतिक्रमण में है या वह ऐसे किसी आदेश का अतिक्रमण करने के लिए किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है या सहायता दे रहा है;
- (ञ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुसूची में दिए गए अधिनियमों के उपबंधों का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपांतरित किए जा सकेंगे, अतिक्रमण किया है;
- (ट) कि इस बात के अनेक उदाहरण रहे हैं जब प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड:=
 - (i) प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है या रहे हैं या ऐसी सुरक्षा प्रदान न करने में घोर उपेक्षा के दोषी थे;
 - (ii) उन्होंने न्यास भंग किया है या उस संपत्ति या उसके किसी भाग का दुर्विनियोग किया है जिसकी संरक्षा करने की उनसे प्रत्याशा की गई थी;
 - (iii) आदतन नशे में या अनुशासनहीन पाए गए थे;

(iv) अपराध करने में लिप्त पाए गए थे; या

(v) उन्होंने उनके प्रभार में रखे गए व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अपराध की मौनानुमित दी थी

या उन्होंने उसके लिए दुष्प्रेरित किया था;

(ठ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ है या पुलिस को या अन्य प्राधिकारी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान न की या उसने ऐसी रीति से कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था या विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) जहां नियंत्रक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि उपर्युक्त उपधारा (1) में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति के रहकरण के प्रश्न के लंबित

mentioned in sub-section (1) above, it is necessary to do so, that Controlling Authority may, by order in writing, suspend the operation of the licence for such period not exceeding thirty days as may be specified in the order and require the licence holder to show cause, within fifteen days from the date of issue of such order, as to why the suspension of the licence should not be extended till the determination of the question of cancellation.

- (3) Every order of suspending or cancelling of a licence shall be in writing and shall specify the reasons for such suspension or cancellation and a copy thereof shall be communicated to the person affected.
- (4) No order of cancellation of licence under sub-section (1) shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.
- 14. Appeals: (1) Any person aggrieved by an order of the Controlling Authority refusing the licence under sub-section (4) of section 7 or renewal under sub-section (3) of section 8 or order of suspension of licence under sub-section (2) of section 13 or cancellation of licence under sub-section (1) of that section, may prefer an appeal against that order to the Home Secretary of the State Government within a period of sixty days of the date of such order:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the said period of sixty days if the appellant satisfies the State Government that he has sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

- (2) Every appeal under sub-section (1) shall be made in such form as may be prescribed and shall be accompanied by a copy of the order appealed against.
- (3) Before disposing of an appeal, the State Government shall give the appellant a reasonable opportunity of being heard.
- 15. Register to be maintained by a private security agency: (1) Every private security agency shall maintain a register containing—
 - (a) the names and addresses of the persons managing the private security agency;
 - (b) the names, addresses, photographs and salaries of the private security guards and supervisors under its control;
 - (c) the names and addresses of the persons whom it had provided private security guards or services; and
 - (d) such other particulars as may be prescribed.
- (2) The Controlling Authority may call for such information as it considers necessary from any private security agency, supervisor or private security guard to ensure due compliance of the Act.

रहते हुए ऐसा करना आवश्यक है कि नियंत्रक प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति के प्रचालन को तीस दिन से अनिधक की ऐसी अविध के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर इस बारे में कारण दर्शित करने की अपैक्षा कर सकेगा कि अनुज्ञप्ति का निलंबन, रद्दकरण का प्रश्न अवधारित किए जाने तक क्यों न विस्तारित कर दियां जाए।

- (3) अनुज्ञप्ति के निलंबन या रहकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसे निलंबन या रहकरण के कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा उसकी एक प्रति प्रभावित व्यक्ति को संसूचित की जाएगी।
- (4) उपघारा (1) के अधीन अनुइंग्ति के रहकरण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
- 14. अपील : (i) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नवीकरण करने से इंकार करने के नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन के आदेश या उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रहकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार के गृह सचिव को ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर कर सकेगा:

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी राज्य सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण है।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए और उसके साथ उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति होगी।
- (3) राज्य सरकार, अपील का निपटारा करने से पूर्व, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी।
- 15. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा रजिस्टर का रखा जाना : (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण एक रजिस्टर रखेगा जिसमें —
 - (क) उन व्यक्तियों के नाम और पते होंगे जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध कर रहे हैं;
 - (ख) उसके नियंत्रणाधीन प्राइवेट सुरक्षा गाडौं और पर्यवेक्षकों के नाम, पते, फोटोग्राफ और वेतन होंगे;
 - (ग) उन व्यक्तियों के नाम और पते होंगे जिनको उसने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या सेवाएं उपलब्ध कराई
 - (घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं।
 - ' (2) नियंत्रक प्राधिकारी, किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, पर्यवेक्षक या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड से ऐसी जानकारी मांग सकेगा जिसे वह इस अधिनियम के सम्यक् अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे।

- 16. Inspection of licence, etc.: The Controlling Authority or any other officer authorised by it in this behalf may at any reasonable time, enter the premises of the private security agency and inspect and examine the place of business, the records, accounts and other documents connected with the licence and may take copy of any document.
- 17. Issue of photo identity card: (1) Every private security guard shall be issued a photo identity card, by the private security agency employing or engaging the guard.
- (2) The photo identity card under sub-section (1) shall be issued in such form as may be prescribed.
- (3) Every private security guard or supervisor shall carry on his person the photo identity card issued under sub-section (1) and shall produce it on demand for inspection by the Controlling Authority or any other officer authorised by it in this behalf.
- 18. Disclosure of information to unauthorized person: (1) Any person who may be or has been employed or engaged as a private security guard by the private security agency shall not divulge to anyone other than the employer, or in such manner and to such person as the employer directs, any information acquired by him during such employment with respect to the work which he has been assigned by such employer, except such disclosure as may be required under this Act or in connection with any inquiry or investigation by the police or as may be required by an authority or process of law.
- (2) All private security guards of a private security agency shall render necessary assistance to the police or to such authority in the process of any investigation pertaining to the activities of that agency.
- (3) If violation of any law is noticed by any private security guard during the course of discharge of his duties, he shall bring it to the notice of his superior, who in turn shall inform the police either through his employer or agency or on his own.
- 19. Delegation: The State Covernment may, by notification, direct that any power or function (except the powers to make rules under section 25)
 - (a) which may be exercised or performed by it, or
- (b) which may be exercised or performed by the Controlling Authority, under this Act, may, in relation to such matter and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be also exercised or performed by such officer or authority subordinate to the Government or officer subordinate to the Controlling Authority, as may be specified in such notification.

- 16. अनुज्ञप्ति आदि का निरीक्षण: नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी युक्तियुक्त समय पर, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसके कारबार के स्थान, अभिलेखों, लेखाओं और अनुज्ञप्ति से संबंधित अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और जांच कर सकेगा तथा किसी दस्तावेज की प्रति ले सकेगा।
- 17. फोटो पहचान पत्र का जारी किया जाना: (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को, उस प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा, जिसने उस गार्ड को नियोजित या नियुक्त किया है, फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन फोटो पहचान पत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, जारी किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक अपने साथ उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया फोटो पहचान पत्र रखेगा और नियंत्रक प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा।
- 18. अप्राधिकृत व्यक्ति को जानकारी का प्रकटन: (1) कोई व्यक्ति जिसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित किया जाए या नियुक्त किया गया है या रखा गया है, नियोजिक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, या ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्ति को जिसे नियोजिक निदेश दे, उस कार्य के संबंध में ऐसे नियोजिन के दौरान उसके द्वारा अर्जित कोई जानकारी जो ऐसे नियोजिक द्वारा समनुदेशित किया गया हो, सिवाय ऐसे प्रकटीकरण के जो इस अधिनियम के अधीन या पुलिस द्वारा किसी जांच या अन्वेषण के संबंध में या किसी प्राधिकारी द्वारा या विधि की प्रक्रिया में अपेक्षित हो, प्रकट नहीं करेगा।
- (2) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के समस्त प्राइवेट सुरक्षा गार्ड पुलिस को या ऐसे प्राधिकारी को उस अभिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्वेषण की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता देंगे।
- (3) यदि किसी विधि का अतिक्रमण किसी प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जानकारी में आता है तो वह अपने वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी में लाएगा, जो नियोजक या अभिकरण के माध्यम से या स्वयं पुलिस को जानकारी देगा।
- 19. प्रत्यायोजन: राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि (धारा 25 के अधीन नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) ऐसी किसी शक्ति या कृत्य का, जिसका इस अधिनियम के अधीन,—
 - (क) उसके द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकेगा, या
 - (ख) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकेगा,

ऐसे विषय के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग या पालन किया जा सकेगा।

- 20. Punishment for contravention of certain provisions: (1) Any person who contravenes the provisions of section 4 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees, or with both.
- (2) Any person or private security agency who contravenes, the provisions of sections 9, 10 and 12 of the Act, shall be punishable with a fine which may extend to twenty-five thousand rupees, in addition to suspension or cancellation of the licence.
- 21. Penalty for unauthorized use of certain uniforms: If any private security guard or supervisor wears the uniform of the Army, Air force, Navy or any other armed forces of the Union or Police or any dress having the appearance or bearing any of the distinctive marks of that uniform, he and the proprietor of the private security agency shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.
- 22. Offences by companies: (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation: For the purposes of this section-

- (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.
- 23. Indemnity: No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Controlling authority or any other officer authorised by it in respect of anything in good faith done or intended to be done under this Act.

- 20. कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड: (1) कोई व्यक्ति जो धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, पच्चीस हजार रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।
- (2) कोई व्यक्ति या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण जो अधिनियम की धारा 9, धारा 10 और धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के अतिरिक्त, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
- 21. कितपय वर्दियों के अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति: यदि कोई प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक, सेना, वायुसेना, नौसेना, या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या पुलिस की वर्दी पहनेगा या ऐसी पोशाक पहनेगा जो उस वर्दी के समान हो या उस पर वर्दी के सुभिन्न चिन्ह लगे हुए हों, तो वह और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का स्वत्वधारी, कारावास से जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।
- 22. कंपनियों द्वारा अपराध: (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और
- (ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।
- 23. संरक्षण: इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशियत किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

- 24. Framing of model rules for adoption by States: The Central Government may, frame model rules in respect of all or any of the matters with respect to which the State Government may make rules under this Act, and where any such model rules have been framed the State Government shall, while making any rules in respect of that matter under section 25, so far as is practicable, conform to such model rules.
- 25. Power of State Government to make rules: (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
 - (a) the procedure for verification of character and antecedents under clause (c) of sub-section (1) of section 10; the type of training under clause (d) of sub-section (1) of section 10; the physical standard under clause (e) of sub-section (1) of section 10; and other conditions under clause (f) of subsection (l) of section 10;
 - (b) the number of supervisors to be employed under sub-section (3) of section 9:
 - (c) the form of an application for grant of licence under sub-section (1) of section 7;
 - (d) the form in which the licence to be granted under sub-section (4) of section 7 and conditions subject to which such licence to be granted under section 11;
 - (e) the form of an application for renewal of licence under sub-section (1) of section 8;
 - (f) the form under sub-section (2) of section 14 for preferring an appeal;
 - (g) particulars to be maintained in a register under sub-section (1) of section 15;
 - (h) the form in which photo identity card under sub-section (2) of section 17 be issued;
 - (i) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.
- (3) Every rule made by the State Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.
- (4) In respect of Union territories, every rule made to carry out the provisions of the Act shall be laid before each House of Parliament and where there exists a Legislative Assembly, before that Assembly.

- 24. राज्यों द्वारा अंगीकार के लिए आदर्श नियमों की विरचना: केन्द्रीय सरकार, ऐसे सभी या किसी विषय, जिसके संबंध में राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकेगी, के संबंध में आदर्श नियम विरचित कर सकेगी और जहां ऐसे आदर्श नियम राज्य सरकार द्वारा विरचित किए जा चुके हैं वहां धारा 25 के अधीन उस विषय के संबंध में कोई नियम बनाते समय, यथासाध्य, ऐसे आदर्श नियमों के अनुरूप बनाएगी।
- 25. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति: (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात:—
 - (क) धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन चिरत्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रक्रिया; धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन प्रशिक्षण का प्रकार; धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन शारीरिक मानदण्ड और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अन्य शर्ते;
 - (ख) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन नियोजित किए जाने वाले पर्यवेक्षकों की संख्या;
 - (ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन का प्ररूप;
 - (घ) वह प्ररूप जिसमें धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी और वे शर्ते जिनके अधीन रहते हुए धारा 11 के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी;
 - (ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप;
 - (च) अपील करने के लिए धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप;
 - (छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में रखी जाने वाली विशिष्टियां;
 - (ज) वह प्ररूप जिसमें धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा;
 - (झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।
- (3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
- (4) संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया प्रत्येक नियम, ससंद के प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां विधान सभा विद्यमान है वहां उस विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

THE SCHEDULE

[See section 13(1)(j)]

- (1) The Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936).
- (2) The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947).
- (3) The Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).
- (4) The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).
- (5) The Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965).
- (6) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970).
- (7) The Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).
- (8) The Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976).
- (9) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979).

अनुसूची

[धारा 13(1)(ञ) देखिए]

- (1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4)।
- (2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)।
- (3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)।
- (4) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19)।
- (5) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21)।
- (6) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)।
- (7) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)।
- (8) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)।
- (9) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)।

THE PRIVATE SECURITY AGENCIES CENTRAL MODEL RULES, 2006¹

In exercise of the powers conferred by section 24 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- Short title and commencement: (1) These rules may be called the Private Security Agencies Central Model Rules, 2006.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Definitions: In these rules unless, the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005;
 - (b) "Agency" means the Private Security Agency;
 - (c) "Controlling Authority" means, the Controlling Authority so declared under the Act;
 - (d) "Form" means, a Form appended to these rules;
 - (e) "License" means a license granted under the Act;
 - (f) words and expressions not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
- 3. Verification of the antecedents of the applicants: (1) Every applicant while making an application to the Controlling Authority for the issue of a fresh license or renewal shall enclose the Form I for verification of his antecedents. If the application (sic applicant) is a company, a firm or an association of persons, the application shall be accompanied by Form I for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants.
- ²[(2) On receipt of such application the Controlling Authority shall make such inquiries, as it considers necessary to verify the contents of the application and the particulars of the applicant.
- (3) The Controlling Authority shall obtain a no-objection certificate from the District Superintendent of Police of the concerned District where the Agency intends to commence its activities. For this purpose it will send to him a copy of the application for license and its attachments for verification and report.

As corrected by corrigendum S.O. 1146(E), dated 19th July, 2006.

Vide S.O. 617(E), dated 26th April, 2006, published in the Gazette of India, Extra., Pt. II, Sec. 3(ii), dated 26th April, 2006.

- (4) The District Superintendent of Police in addition to the causing of verification of antecedents of every individual in whose name the antecedent form is filled up, shall also furnish the following information:
 - (i) Whether the applicant or the company earlier operated any Private Security Agency, either individually or in partnership of others and if so, the detail thereof; and
 - (ii) Whether the applicant possesses any special qualification or skill, which m facilitate his operations of Private Security Agency.]
- ¹[4. Verification of character and antecedents of the private security guard and supervisor: (1) Before any person is employed or engaged as a security guard or supervisor, the Agency shall satisfy itself about the character and antecedents of such person in any one or more of the following manner:—
 - (a) by verifying the character and antecedents of the person by itself;
 - (b) by relying upon the character and antecedent verification certificate produced by the person :
 - Provided that the character and antecedent certificate shall be valid and the Agency does not have any adverse report regarding the person's character and antecedents from any other source; as prescribed herein under, produced by the person provided it is valid and the Agency does not have any adverse report regarding the person's character and antecedents from any other source;]
 - (c) by relying on the report received from the police authorities signed under the authority of the District Superintendent of Police or an officer of the equivalent or higher rank.
- (2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit Form II to the Agency. If the person has stayed in more than one District during the last five years, the number of forms will be as many as Districts.
- (3) The Agency shall cause an inquiry into the correctness of the particulars filled in either by itself or by sending the form to the respective District Superintendent of Police.
- (4) The State Government may prescribe the form and the manner in which the fee is to be deposited for the service of character and antecedent verification by police.
- (5) The police will establish identity of the individual and verify the character and antecedents of the person by making a visit to the locality where the person claims to have resided or residing and ascertain his identity and reputation from the respectable

As corrected by corrigendum S.O. 1146(E), dated 19th July, 2006.

residents of the locality. They will also consult the police station record of the concerned police station and other records at the District Police Headquarter before preparing the character and antecedents verification report. This report will contain the comments of the police on every claim of the person in character and antecedents Form and also a general report about his activities including means of livelihood in the period of verification. The police will specifically state if there is a criminal case registered against the person at any point of time or if he has ever been convicted of criminal offence punishable with imprisonment.

- (6) The police will specifically comment if the engaging or employing the person under verification by the Private Security Agency will pose a threat to National Security.
- (7) The police authorities shall ensure that character and antecedent verification report is issued within ninety days of the receipt of the character and antecedent form.
- (8) The report of the police regarding character and antecedents of a person will be graded as confidential. It will be addressed in named cover to a designated officer of the Security Agency requesting for character and antecedents.
- (9) Character and antecedents verification report once issued will remain valid for three years.
- (10) On the basis of police verification and on the basis of their own verification, the Agency shall issue in Form III a character certificate and this certificate will not be taken back by such Agency even if the person ceases to be the employee of that Agency.
- 5. Security training: (1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the security guards. This training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The ex-servicemen and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only, of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over at least seven working days.
 - (2) The training will include the following subjects, namely:-
 - (a) conduct in public and correct wearing of uniform;
 - (b) physical fitness training,
 - (c) physical security, security of the assets, security of the building or apartment, personnel security, household security;
 - (d) fire fighting;
 - (e) crowd control;

- examining identification papers including identity cards, passports and smart cards;
- (g) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered in the identification documents, arms licence, travel documents and security inspection sheet;
- (h) identification of improvised explosive devices;
- (i) first-aid:
- (j) crisis response and disasters management;
- (k) defensive driving (compulsory for the driver of Armoured vehicle and optional for others);
- (1) handling and operation of non-prohibited weapons and firearms (optional);
- (m) rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the police station. Arms Act (only operative sections); Explosives Act (operative sections);
- (n) badges of rank in police and military forces;
- (o) identification of different types of arms in use in public and Police;
- use of security equipments and devises (for example; security alarms and screening equipments); and
- (q) leadership and management (for supervisors only).
- (3) The security guard will have to successfully undergo the training prescribed by the competent Authority. On completion of the training each successful trainee will be awarded a certificate in Form IV by the training institute or organization.
- (4) The competent authority will inspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection will be conducted at least two times every year.
- (5) All the Agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in the manner prescribed by it.
- 6. Standard of physical fitness for security guards: (1) A person shall be eligible for being engaged or employed as security guard if he fulfils the standards of physical fitness as specified below:—
 - (i) Height, 160 cms (for Female 150 cms), weight according to standard table of height and weight, chest 80 cms with an expansion of 4 cms (for females no minimum requirement for chest measurement).
 - (ii) Eye sight: Far sight vision 6/6, near vision 0.6/0.6 with or without correction, free from colour blindness should be able to identify and distinguish colour

- display in security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals.
- (iii) Free from knock knee and flat foot and should be able to run one kilometer in six minutes.
- (iv) Hearing : Free from defect; should be able to hear and respond to the spoken voice and the alarms generated by security equipments.
- (v) The candidate should have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.
- (2) A candidate should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.
- (3) Agency shall ensure that every security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination so as to ensure his continued maintenance of physical standard as prescribed for the entry level.
- 7. Provision for Supervisors: (1) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.
- (2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practical to supervise their work by one supervisor, the Agency shall depute more number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.
- 8. Manner of making application for grant of licence: (1) Every application by an Agency for the grant of a licence under clause (1) of section 7 of the Act, shall be made to the Controlling Authority in the format prescribed in Form V.
- (2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a demand draft or banker's cheque showing the payment of fees as prescribed under clause (3) of section 7, payable to the Controlling Authority of the State concerned where the application is being made.
- (3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to him by registered post.
- (4) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after noting thereon the date of receipt by him of the application, grant an acknowledgment to the applicant.
- 9. Grant of licence: (1) The Controlling Authority, after receiving an application under sub-rule (1) of rule 8 shall grant a licence to the private security agency in

Form VI after completing all the formalities and satisfying itself about the suitability of the applicant and also the need for granting the licence for the area of operation applied for.

- (2) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors of any private security agency.
- (3) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of licence of such security agencies which may not have adhered to the conditions of ensuring the required training.
- 10. Conditions for grant of licence: (1) The licencee shall successfully undergo a training relating to the private security as prescribed by the Controlling Authority within the time frame fixed by it.
- (2) The licencee shall intimate the name, parentage, date of birth, permanent address, address for correspondence and the principle profession of each person forming the Agency within fifteen days of receipt of the license to the Controlling Authority.
- (3) The licencee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the Agency, change of management within seven days of such change.
- (4) The licensee shall immediately intimate to the Controlling Authority about any criminal charge framed against the persons forming the Agency or against the private security guard or supervisor engaged or employed by the Agency, in the course of their performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the person charged against resides.
- (5) Every licencee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guards and their training as prescribed in these rules as the condition on which the licence is granted.
- (6) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of licence shall be non-refundable.
- Renewal of licence: (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the licence.
- (2) The fees chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant thereof.
- 12. Conditions for renewal of licence: The renewal of the licence will be granted subject to the following conditions:—

- (i) The applicant continues to maintain his principle place of business in the jurisdiction of the Controlling Authority.
- (ii) The applicant continues to ensure the availability of the training for its private security guards and superiors required under sub-section (2) of section 5 of the Act.
- (iii) The applicant continues to adhere to the license conditions.
- (iv) The police have no objection to the renewal of the license to the applicant.
- (3) The form for application of renewal of licence will be same as the form for the application for original licence.
- 13. Appeals and procedure: (1) Every appeal under sub-section (1) of section 14 of the Act shall be preferred in Form VII signed by the aggrieved person or his authorized advocate and presented to the appellate officer in person or sent to him by registered post.
- (2) The Controlling Authority may prescribe a fee for the appeal to be filed under section 14 of the Act and the manner in which such fee will be paid.
- 14. Register to be maintained by the Agency: The register required to be maintained under the Act by the Agency shall be in Form VIII.
- 15. Photo identity eard: (1) Every photo-identity card issued by the Agency under sub-section (2) of section 17 shall be in Form IX.
- (2) The photo-identity card shall convey a full-face image in color, full name of the private security guard, name of the Agency and the identification number of the individual to whom the photo identity card is issued.
- (3) The photo-identity card shall clearly indicate the individual's position in the Agency and the date up to which the photo-identity card is valid.
- (4) The photo-identity card shall be maintained up to date and any change in the particulars shall be entered therein.
- (5) The photo-identity card issued to the private security guard will be returned to the Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.
- (6) Any loss or theft of photo-identity card will be immediately brought to the notice of the Agency that issued it.
- 16. Other conditions: (1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency will issue and make it obligatory for its security guards to put on:

- (a) an arm badge distinguishing the Agency;
- (b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;
- (c) whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket;
- (d) shoes with eyelet and laces;
- (e) a headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency.
- (2) The clothes worn by the private security guard while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In particular they will neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.
- (3) Every private security guard will carry a notebook and a writing instrument with him.
- (4) Every private security guard while on active security duty will wear and display photo-identity card issued under section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in a conspicuous manner.

FORM I

(See rule 3)

FORM FOR VERIFICATION OF ANTECEDENTS OF APPLICANT

For	official u	ise only			
Form Number		Name of the police station sent for police verification			
			1		
Fee	Amount	Rs			
D.I). No				
Da	te of issue				
Letters : or suppre	(Caution	the instructions carefully before filling the form Please fill: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect in any factual information in the form will render the candidate e)	uformatio		
		applicant (Initial not allowed) eFirst name			
		we ever changed your name, please indicate the previous name			
		/female)			
		Sirth			
5.	Place of E	Sirth: Village/Town			
6.		full Name/Legal Guardian's Full Name (including surname, if any			
7.	Mother's	Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed)			
8.	If marries	d. Full Name of Spouse (including surname, if any), (Initials not	allowed)		
	(with PIN				
		e No Makila No			
		ne No./Mobile No.			
10.		we the date since residing at the abovementioned address; DD M	M YYY		
	Permanent Address including Street No./police station, village and District (wit PIN code)				
12.	If you ha	ave not resided at the address given in column (9) continuous			

	place of stay during the last five years. Forms may be photocopied, but photograph and signature in original are required on each form. From					
13	. In case of stay abroad particularly of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years.					
14	Other Details :					
	 (a) Educational Qualifications: (b) Previous positions held if any along with name and address of employers: (c) Reason for leaving last employment: (d) Visible Distinguishing Mark: 					
15.	Did you earlier operated any Private Security Agency or were its partner, majority shareholder or Director? If yes then furnish the name, address of the Agency and its license particulars.					
16.	Are you a citizen of India by: Birth/Descent/Registration/Naturalisation: If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship					
	••					
17.	Have you at any time being convicted by a court in India for any criminal offence and sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)					
18,	Are any criminal proceedings pending against you before a court in India ? If so, give name of court, case number and offence					
19.	Self-Declaration:					
	The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.					
	(Signature/T.I.* of applicant)					
20.	Enclosures :					
	(Signature/T.I.* of applicant)					
(*Left	Hand Thumb Impression if Male and Right Hand Thumb Impression if Female)					
	*FOR OFFICE USE ONLY					
File	No					
Dat	te of issue of C & A Report					
	gnature of Police Station in charge)					
	me of Police Station					
	me of Police district					
	B. Cancel whatever is not applicable					

FORM II

(See rule 4)

FORM FOR VERIFICATION OF CHARACTER AND ANTECEDENTS OF SECURITY GUARD AND SUPERVISOR

For official us	he Applicant	
Form Number	Name of the police station and S	0.1
	Name of the police station sent for police verification	Date
Date of issue		
nsuitable for emplo 1. Name of app	c instructions carefully before filling the form. Please fill in TION: Please furnish correct information. Furnishing of ession of any factual information in the form will render the yment/engagement in the Private Agency.) plicant as should appear in the photo-identity card (Initial no	candidate
3. Sex (male/fer	nale)	
District	i : Village/Town :	
6. Father's Full 1);
	Name (including surname, if any): (Initials not allowed)	************
8. If married, Fu	ll Name of Spouse (including surname, if any), (Initials not all	lowed)
Present Reside (with PIN code	ential Address, including Street No./police station, village and	
Telephone No.	/Mobile No	********
	/Mobile No	YYYY
11. Permanent Ade PIN code)	dress including Street No./police station, village and District	(with
12. If you have no	t resided at the address given in column (9) continuously please furnish the other address (addresses) with durat	********

22. Enclosures:

*FOR OFFICE USE ONLY	
File No.	
Date of issue of C & A Report	
(Signature of Police Station in charge)	
Name of Police Station	
Name of Police district	
*N.B. Cancel entries is not applicable	
FORM III	
(See rule 4)	
CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE	
This is to certify that Mr/Ms son/daughter of	
applicant has been staying at the following address continuously for the last on	nd that the
Date of Birth:	
Place of Birth:	
Educational Qualification:	
Profession:	
Present Address .	
Permanent Address:	
Issuing Authority	
Signature	
Name	
Designation	
Address/Tel. No.	
Date of Issue	
FORM IV	
(See rule 5)	
Serial Number	
Name of the Training Agency	
Address of the Training Agency License No.	
Certified that	has Security
His signature is attested below	
Signature of the Certificate Holder	
Signature of issuing	authority
	signation
Place of issue	
Date of issue	

FORM V

(See rule 8)

APPLICATION FOR NEW LICENCE/RENEWAL OF LICENCE TO ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY

-		
	T	he Controlling Authority
servi	Tices	he undersigned hereby applies for obtaining a licence to run the business of operating in the area of Private Security Agencies
	1.	Full name of the applicant:
	2,	Nationality of the applicant :
		Son/Wife/daughter of :
		Residential Address:
	5.	Address, where the applicant desires to start his Agency;
	6.	Name of the Private Security Agency :
	7.	Name and addresses of Proprietor, Partner, Majority shareholder. Director and Chairman of the Agency:
	8.	Name and extent of facilities available:
	9,	Qualifications of staff engaged for imparting instructions:
		Name
		Age
		Designation
1	0.	Equipments which will be used for Security services
		(a) Door Framed Metal Detector (DFMD)
		(b) Hand Held Metal Detector (HHMD)
		(c) Mine Detector
		(d) Other Detectors—
		(i) Wireless Telephones
		(ii) Alarm Devices
		(iii) Armoured Vehicles
		(iv) Arms
1	1.	The particulars of the uniform including color in case the applicant intends to use any uniform for the Private Security Guards and Supervisors of the Agency:
1	2.	Does the applicant intends to operate in more than one districts? If so the name of the Districts
		1
13		Does the applicant intend to operate in the entire State?

14. Does the applicant possesses the training facility in its own or will get it on outsourcing basis?

The name and address of training facility should be furnished

Name of the applicant
Address of the applicant
Telephone number of the applicant
Date of application

Enclosures:

- 1. Copy of current Income-tax Clearance Certificate
- 2. Affidavit as prescribed in section 7, sub-section (2) of the Act
- 3. Other enclosures.

FORM VI

(See rule 8)

Government of

LICENSE TO ENGAGE IN	THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY

Serial No.	
Date	
Shri	(name of the Applicant)
3/0	
Address)	is granted the license by the Controlling
Officer for the State of	to run the business of Private Security Agency in the
district(s) of/State of (Strike off the in office at(address)	applicable words)
Place of Issue	
Date of Issue	
This license is valid up to	

Signature Name of granting Authority Designation Official Address

RENEWAL (See rule 8)

Date of Renewal

Date of expiry

1.

2.

3.

4.

Signature Name of renewing Authority Designation Official Address

FORM VII

(See rule 9)

FORM FOR APPEAL

	An Appeal								
App	ellant						***********		

					Versus				
Con	trolling Autho	rity				***************************************			
	The			2	bovename	anneal to the			State Home
the f	etary) refusal ollowing grou	of ficens	e to run	Priv	ate Securit	v Agency		an	d cate forth
Encl	osed list of do	cuments							
******		*************							
	Name of per managing			TER I M	FORM VIII See rule 10) OF PART anagement Present dress and	ICULARS	Nationa		Date of joining/
	Agenc		name	1/2/100	none No.	Address		le	aving the Agency
1.		1	1 5 0						-801103
					-				
		(Par	t II Priva	ite S	ecurity Gua	ards and Supe	ervisor)		
SI. No.	Name of Guard/ Supervisor	Father's Name	Prese addre and phe No.	SS	Date of joining/ leaving the Agency	Permanent address	Photo- graph	Badge No.	Salary with date
1.									
2									-

G. S. R. 57.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005, the State Government hereby makes the following rules, namely:-

RAJASTHAN PRIVATE SECURITY AGENCIES (REGULATION) RULES, 2006

- Short title and commencement: (1) These rules may be called the Rajasthan Private Security Agencies (Regulation) Rules, 2006.
- (2) They shall come into force from the date¹ of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Definitions: (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005;
 - (b) "Agency" means the Private Security Agency;
 - (c) "Controlling Authority" means, the Controlling Authority designated under sub-section (1) of section 3 of the Act;
 - (d) "Form" means a Form appended to these Rules; and
 - (c) "License" means a license granted under the Act.
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
- 3. Manner of making application for grant of license: (l) Every application by an Agency for the grant of a license, shall be made to the Controlling Authority in Form I in triplicate.
 - (2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by -
 - (a) a demand draft or banker's cheque showing the payment of fees as per sub-section (3) of section 7 of the Act, payable to the Controlling Authority.
 - (b) particulars of the applicant in Form II, for verification of his antecedents.
 - (c) affidavit of the applicant in Form III.
 - Note: If the applicant is a company, a firm or an association of persons, particulars and affidavit in Form II and III shall be submitted for every proprietor or majority of share holder or partner or director of the company.
- (3) Every application referred to in sub-rule (1), shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to him by registered post.
- (4) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after noting thereon the date of receipt by him of the application, grant an acknowledgement to the applicant.

Notification No. F. 33(5) Home - 9/2005 dated 11.10.2006, published in Raj. Gazette E.O. Part 4(Ga) (I) dated 30.10.2006 (w.c.f. 30.10.2006).

राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006

जी.एस.आर. 63 : प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम, 2006 है।
 - (2) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख¹ से प्रवृत्त होंगे।
 - परिभाषाएँ: (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) "अधिनियम" से प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है;
 - (ख) ''एजेंसी'' से प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी अभिप्रेत है;
 - (ग) ''नियंत्रक प्राधिकारी'' से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित नियंत्रक प्राधिकारी अभिप्रेत है;
 - (घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है; और
 - (ङ) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम के अधीन मंजूर कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में क्रमश: समनुदिष्ट किया गया है।
- अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन करने की रीति: (1) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए किसी एजेंसी द्वारा प्रत्येक आवेदन प्ररूप 1 में तीन प्रतियों में नियंत्रक प्राधिकारी को किया जायेगा।
 - (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा :-
 - (क) अधिनियम की धारा ७ की उप-धारा (3) के अनुसार फीस का संदाय दर्शित करने वाला मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो नियंत्रक प्राधिकारी को संदेय हो;
 - (ख) प्ररूप 2 में आवेदक की उसके पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए विशिष्टियाँ;
 - (ग) प्ररूप 3 में आवेदक का शपथपत्र ।

टिप्पण: यदि आवेदक कोई कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों का संगम हो तो प्रत्येक स्वत्वधारी या कम्पनी के शेयरधारकों या भागीदार या निदेशक की बहुसंख्या की प्ररूप 2 और 3 में विशिष्टियाँ और शपथपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

- (3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन, नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिश: प्रदत्त किया भागेगा या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।
- (4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन प्राप्त होने पर नियंत्रक प्राधिकारी उसके द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख उस पर लिखने के पश्चात् आवेदक को एक अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

अधिस्चना संख्या एफ. 33 (5) होम-9/2005 दिनांक 11.10.2006, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) (1) दिनांक 13.12.2006 में प्रकाशित।

- 4. Verification of the antecedents of the applicant: (1) On receipt of the application referred to in sub-rule (1) of rule 3, the Controlling Authority shall make such inquiries, as it considers necessary to verify the contents of the application and the particulars of the applicant.
- (2) The Controlling Authority shall send copy of the application for license and its enclosures for verification in duplicate to District Superintendent of Police for obtaining his report/no objection certificate of the concerned District, where the Agency intends to commence its activities.
- (3) The District Superintendent of Police in addition to the causing of verification of antecedents of every individual in whose name the antecedent form is filled up, shall also furnish the following information:
 - (i) whether the applicant or the company earlier operated any Private Security Agency, either individually or in partnership of others and if so, the details thereof; and
 - (ii) whether the applicant possesses any special qualification or skill, which may facilitate his operations of Private Security Agency.
- (4) The District Superintendent of Police shall send his report/no objection certificate in Form II within 30 days. He shall retain copy of report/no objection certificate in his office record and in the concerned police station.
- 5. Grant of license: (1) The Controlling Authority after completing all the formalities prescribed under rule 4 and satisfying itself about the suitability of the applicant and also the need for granting the license for the area of operation applied for, may either grant a license in the format prescribed in Form IV or refuse to grant the same within the period of sixty days.
- (2) No license shall be granted without 'No Objection Certificate' from District Superintendent of Police.
- 6. Conditions of license: (1) The licensee shall successfully undergo a training relating to the private security service as specified by the Controlling Authority within the time frame fixed by it.
- (2) The license shall intimate the name, parentage, date of birth, permanent address, address for correspondence and the principal profession of each person forming the Agency within fifteen days of receipt of the license to the Controlling Authority.
- (3) The licensee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the Agency or any change of management within seven days of such change.

- 4. आवेदक के पूर्ववृत्त का सत्यापन: (1) नियम 3 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन की अन्तर्वस्तु और आवेदक की विशिष्टियों को सत्यापित करने के लिए ऐसी जाँच करेगा, जो वह आवश्यक समझे।
- (2) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के आवेदन और उसके संलग्नकों की प्रतियाँ दो प्रतियों में सत्यापन के लिए सम्बन्धित जिले, जहाँ एजेंसी अपने क्रियाकलाप प्रारम्भ करने का आशय रखती है, के जिला पुलिस अधीक्षक को उसकी रिपोर्ट/निराक्षेप प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए भेजेगा।
- (3) जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक व्यष्टि, जिसके नाम से पूर्ववृत्त प्ररूप भरा गया है, के पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना भी देगा :--
 - (i) क्या आवेदक या कम्पनी ने पूर्व में या तो व्यक्तिश: या अन्य की भागीदारी में कोई प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी चलायी है और यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा; और
 - (ii) क्या आवेदक कोई ऐसी विशेष अर्हता या कौशल रखता है जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को चलाना सुकर बनाता हो।
- (4) जिला पुलिस अधीक्षक अपनी रिपोर्ट/निराक्षेप प्रमाणपत्र प्ररूप 2 में तीस दिन के भीतर भेजेगा । वह अपने कार्यालय अभिलेख में और सम्बन्धित पुलिस थाने में रिपोर्ट/निराक्षेप प्रमाणपत्र की प्रति रखेगा ।
- 5. अनुज्ञप्ति की मंजूरी: (1) नियंत्रक प्राधिकारी नियम 4 के अधीन विहित समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने और आवेदक की उपयुक्तता और आवेदित प्रचालन के क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने की आवश्यकता के बारे में भी अपना समाधान करने के पश्चात् प्ररूप 4 में विहित प्ररूप में साठ दिन की कालाविध के भीतर या तो अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा या उसे मंजूर करने से इनकार करेगा।
 - (2) कोई भी अनुज्ञप्ति जिला पुलिस अधीक्षक के निराक्षेप प्रमाणपत्र के बिना मंजूर नहीं की जायेगी।
- 6. अनुज्ञप्ति की शर्ते : (1) अनुज्ञप्तिधारी प्राइवेट सुरक्षा सेवा के सम्बन्ध में नियंत्रक प्राधिकारी प्रारा यथा- विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण, उसके द्वारा नियत समय के भीतर सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी एजेंसी गठित करने वाले प्रत्येक सदस्य के नाम, माता-पिता के नाम, जन्म की गारीख, स्थायी पते, पत्र-व्यवहार के पते और वृत्ति के मुख्य स्थान की सूचना नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति मी प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर देगा।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी एजेंसी गठित करने वाले व्यक्तियों के पते में किसी परिवर्तन या प्रबन्ध में किसी परिवर्तन के बारे में नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन से सात दिन के भीतर सूचित करेगा।

- (4) The licensee shall immediately intimate to the Controlling Authority about any criminal charge framed against the persons forming the Agency or against the private security guard or supervisor engaged or employed by the Agency, in the course of their performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the person charged against resides.
- (5) Every licensee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guards and their training as prescribed in these rules as the condition on which the license is granted.
- (6) Same as provided in these rules, the fees paid for the grant of license shall be non-refundable.
- 7. Verification of character and antecedents of the private security guard and supervisor: (1) Before any person is employed or engaged as a security guard or supervisor, the Agency shall satisfy itself about the character and antecedents of such person in any one or more of the following manners
 - (a) by verifying the character and antecedent of the person by itself.
 - (b) by relying upon the character and antecedent verification certificate produced by the person provided the Agency does not have any adverse report regarding the person's character and antecedents from any other source.
 - (c) by relying on the report received from the police authorities signed under the authority of the District Superintendent of Police.
- (2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit Form V in duplicate to the Agency. If the person has stayed in more than one District during the last five years, the number of forms shall be as many as Districts.
- (3) The Agency shall cause an inquiry into the correctness of the particulars filled in either by itself or by sending the form to the respective District Superintendent of Police.
- (4) In case where the agency decides to verify the character and antecedents of the applicant by itself, it shall ascertain the following:—
 - (a) the identity and reputation of the applicant from locality/localities where he
 has reportedly been residing/resided.
 - (b) whether there have been criminal case(s) registered/pending trial against the applicant.
 - (c) whether the applicant has ever been convicted.

- (4) अनुज्ञप्तिधारी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालना के अनुक्रम में, एजेंसी गठित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या एजेंसी द्वारा रखे गये या नियुक्त किये गये प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरुद्ध लगाये गये किसी आपराधिक आरोप के बारे में नियंत्रक प्राधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा। ऐसी सूचना की एक प्रति उस पुलिस थाने के प्रभारी को भी भेजी जायेगी जहाँ आरोपित व्यक्ति निवास करता है।
- (5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के लिए शारीरिक मानकों और उनके प्रशिक्षण की ऐसी अपेक्षाओं का पालन करेगा जो इन नियमों में ऐसी शर्त के रूप में विहित है जिस पर अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है।
- (6) इन नियमों में यथाउपबंधित के सिवाय, अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए संदत्त फीस प्रतिदेय नहीं होगी।
- 7. प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चिरत्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन: (1) किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाये जाने के पूर्व, एजेंसी निम्नलिखित एक या अधिक रीतियों से ऐसे व्यक्ति के चरित्र या पूर्ववृत्त के बारे में अपना समाधान करेगी:—
 - (क) स्वयं द्वारा उस व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन;
 - (ख) उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र पर निर्भरता बशर्ते एजेंसी के पास व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त बारे में किसी अन्य स्रोत से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो;
 - (ग) पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट पर निर्भरता जो जिला पुलिस अधीक्षक के प्राधिकार के अधीन हस्ताक्षरित हो।
- (2) सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित होने या लगाये जाने का इच्छुक व्यक्ति एजेंसी को प्ररूप 5 दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा। यदि वह व्यक्ति गत पाँच वर्षों के दौरान एक से अधिक जिलों में रहा है तो प्ररूपों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर होगी।
- (3) एजेंसी भरी गयी विशिष्टियों की शुद्धता की जाँच या तो स्वयं करेगी या प्ररूप को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को भेजकर करवायेगी।
- (4) उस दशा में जहाँ एजेंसी आवेदक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन स्वयं करने का विनिश्चय फरती है, वहाँ वह निम्नलिखित का अभिनिश्चय करेगी :-
 - (क) आवेदक की, उस परिक्षेत्र/उन परिक्षेत्रों से, जहाँ वह रहता है/रहता था, पहचान और ख्याति;
 - (ख) क्या आवेदक के विरुद्ध आपराधिक मामला रिजस्ट्रीकृत है/विचारण लिम्बित है;
 - (ग) क्या आवेदक कभी सिद्धदोष हुआ है;

- (d) general reputation of the applicant whether engaging or employing the person will pose a threat to national security or public order.
- (5) In case the agency refers the application to police for verification of character and antecedents, it shall send the form(s) of the applicant to the District Superintendent of Police where the headquarter of the agency is located alongwith the bank draft or bankers cheque of Rs. 100/- per form payable to the concerned District Superintendent of Police. The District Superintendent of Police shall then refer the form(s) to concerned police station(s). The police shall
 - (a) establish identity of the individual and verify the character and antecedents of the person by making a visit to the locality, where the person claims to have resided or residing and ascertain his identity and reputation from the respectable residents of the locality.
 - (b) consult the police station, record of the concerned police station and other records at the District Police Headquarter.
 - (c) specifically state if there is a criminal case registered against, the person at any point of time or if he has every been convicted of criminal offence punishable with imprisonment.
 - (d) specifically comment if the engaging or employing the person under verification by the Private Security Agency will pose a threat to National Security.
 - (e) record comments on every claim of the person in character and antecedent Form and also a general report about his activities including means of livelihood in the period of verification.
 - (f) ensure that character and antecedent verification report is issued within ninety days of the receipt of the character and antecedent form.
- (6) The report of the police regarding character and antecedents of a person shall be graded as confidential. It shall be addressed in named cover to a designated officer of the Security Agency requesting for character and antecedents.
- (7) On the basis of police verification and on the basis of the own verification, the Agency shall issue a character certificate in Form VI and the same shall not be taken back by such Agency even if the person ceases to be the employee of that Agency. This certificate shall ordinarily be valid for three years from the date of issue.
- 8. Security training: (1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the security guards. This training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The ex-servicemen and former

- (घ) क्या आवेदक की सामान्य ख्याति व्यक्ति को लगाये जाने या नियोजित किये जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए आशंका पैदा करेगी।
- (5) यदि एजेंसी चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए आवेदन पुलिस को निर्दिष्ट करती है तो वह आवेदक के प्ररूप, प्रत्येक प्ररूप के लिए सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को संदेय 100/- रु. के बैंक इाप्ट या बैंकर्स चैक के साथ, उस जिला पुलिस अधीक्षक को भेजेगा, जहाँ एजेंसी का मुख्यालय अवस्थित है। जिला पुलिस अधीक्षक तब प्ररूप(पों) को सम्बन्धित पुलिस थाने(नों) को निर्दिष्ट करेगा। पुलिस :--
 - (क) उस परिक्षेत्र, जहाँ वह व्यक्ति रहता था या रहने का दावा करता है, में जाकर व्यक्ति की पहचान स्थापित करेगी और उस व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन करेगी और परिक्षेत्र के सम्माननीय निवासियों से उसकी पहचान और ख्याति सुनिश्चित करेगी;
 - (ख) पुलिस थाने से परामर्श करेगी, सम्बन्धित पुलिस थाने के अभिलेख और जिला पुलिस मुख्यालय के अन्य अभिलेखों से जाँच करेगी;
 - (ग) यदि किसी भी समय उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला रिजस्ट्रीकृत है या यदि वह कारावास से दण्डनीय दांडिक अपराध में कभी भी सिद्धदोष हुआ है तो इसका विनिर्दिष्ट रूप से कथन करेगी;
 - (घ) विनिर्दिष्ट रूप से टिप्पण करेगी कि प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी द्वारा सत्यापनाधीन व्यक्ति को लगाया जाना या नियोजित किया जाना क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए
 - (ङ) व्यक्ति के प्रत्येक दाबे पर चरित्र और पूर्ववृत्त प्ररूप में टिप्पण और सत्वापन की कालावधि में जीविका के साधन को सम्मिलित करते हुए उसके क्रियाकलापों के बाँरे में भी एक सामान्य रिपोर्ट अभिलिखित करेगी;
 - (च) यह सुनिश्चित करेगा कि चरित्र और पूर्ववृत्त प्ररूप की प्राप्ति से नब्बे दिन के भीतर चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट जारी कर दी जाये ।
- (6) किसी व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट गोपनीय के रूप में श्रेणीकृत की जायेगी। यह चरित्र और पूर्ववृत्त के लिए अनुरोध करने वाली सुरक्षा एजेंसी के किसी पदाभिहित अधिकारी के नाम से लिफाफे में भेजी जायेगी।
- (7) पुलिस सत्यापन के आधार पर और स्वयं के सत्यापन के आधार पर एजेंसी प्ररूप 6 में चरित्र प्रमाणपत्र जारी करेगी और उसे ऐसी एजेंसी द्वारा वापस नहीं लिया जायेगा, चाहे वह व्यक्ति उस एजेंसी का कर्मचारी नहीं रहा हो।
- 8. सुरक्षा प्रशिक्षण: (1) नियंत्रक प्राधिकारी सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्य विवरण विरचित करेगा। यह प्रशिक्षण कम से कम बीस कार्य दिवसों में न्यूनतम सौ घण्टे के कक्षा शिक्षण और साठ घण्टे के मैदानी प्रशिक्षण की कालाविध का होगा। तथापि, पूर्व सैनिकों और पूर्व

police personnel shall however be required to attend a condensed course only, of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over at least seven working days.

- (2) The training will include the following subjects, namely :-
- (a) conduct in public and correct wearing of uniform;
- (b) physical fitness training;
- (c) physical security, security of the assets, security of the building or apartment, personnel security, household security;
- (d) fire fighting;
- (e) crowd control;
- (f) examining identification papers including identity cards, passports and smart cards;
- (g) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered in the identification documents, arms license, travel documents and security inspection sheet;
- (h) identification of improvised explosive devices;
- (i) first-aid;
- (j) crisis response and disasters management;
- (k) defensive driving (compulsory for the driver of Armored vehicle and optional for others);
- (1) handling and operation of non-prohibited weapons and firearms (optional);
- (m) rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the police station. Arms Act (only operative sections). Explosives Act (operative sections);
- (n) badges of rank in police and military forces;
- (o) identification of different types of arms in use in public and Police;
- (p) use of Security equipments and devices (for supervisors only).
- (3) The security guard shall have to successfully undergo the training specified by the Controlling Authority. On completion of the training each successful trainee shall be awarded a certificate in Form VII by the training institute or organization.
- (4) The Controlling Authority shall inspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection shall be conducted at least two times every year.
- (5) All the agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in the manner specified by it.

पुलिस कार्मिकों से कम से कम सात कार्य दिवस में केवल न्यूनतम चालीस घण्टे के कक्षा शिक्षण और सोलह घण्टे के मैदानी प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।

- (2) प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-
- (क) लोक आचरण और वर्दी को सही तरीके से पहनना:
- (ख) शारीरिक स्वस्थता प्रशिक्षण:
- (ग) शारीरिक सुरक्षा, आस्तियों की सुरक्षा, भवन या अपार्टमैन्ट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;
- (घ) आग बुझाना;
- (ङ) भीड़ नियंत्रण:
- (च) पहचान पत्र, पासपोर्ट और स्मार्ट कार्ड को सिम्मिलित करते हुए पहचान पत्रों की जाँच;
- (छ) अंग्रेजी वर्णमाला और अरबी अंकों, जो सामान्यतया पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में प्रयुक्त होते हैं, को पढ़ने और समझने में समर्थ;
- (ज) कामचलाऊ विस्फोटक युक्तियों की पहचान;
- (झ) प्राथमिक उपचार;
- (ञ) संकट का मुकाबला और आपदा प्रबन्धन;
- (ट) रक्षणात्मक चालन (बख्तरबन्द गाड़ी के ड्राइवर के लिए अनिवार्य और अन्य के लिए वैकल्पिक);
- (ठ) अप्रतिषिद्ध आयुध और अग्यायुध की देखभाल और प्रचालन (वैकल्पिक);
- (ड) भारतीय दण्ड संहिता, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रभावी धाराओं), विस्फोटक अधिनियम (प्रभावी धाराओं) का प्रारम्भिक ज्ञान;
- (ढ) पुलिस और सेना बलों में रैंक के बैज;
- (ण) पब्लिक और पुलिस में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के आयुधों की पहचान;
- (त) सुरक्षा उपस्करों और युक्तियों का उपयोग (केवल पर्यवेक्षकों के लिए) ।
- (3) सुरक्षा गार्ड को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण केन्द्र या संगठन द्वारा प्ररूप 7 में प्रमाणपत्र प्रवान किया जायेगा।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाओं का गाग-समय पर निरीक्षण करेगा। सामान्यतया ऐसा निरीक्षण प्रतिवर्ष कम से कम दो बार किया जायेगा।
- (5) समस्त एजेंसियाँ नियंत्रक प्राधिकारी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में सफल प्रशिक्षणार्थियों की

- 9. Standard of physical fitness for security guards: (I) A person shall be eligible for being engaged or employed as security guard if he fulfill the standards of physical fitness as specified below:
 - (i) Height, 160 cms (for Female 150 cms.), weight according to standard table of height and weight, chest 80 cms with an expansion of 4 cms (for females no minimum requirement for chest measurement).
 - (ii) Eye sight: far sight vision 6/6, near vision 0.6/0.06 with or without correction, free from colour blindness should be able to identify and distinguish colour display in security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals.
 - (iii) Free from knock knee and flat foot and should be able to run one kilo metere in six minutes.
 - (iv) Hearing: free from defect; should be able to hear and respond to the spoken voice and the alarms generated by Security equipments.
 - (v) The candidate should have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.
- (2) A candidate should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.
- (3) Agency shall ensure that every security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination so as to ensure his continues maintenance of physical standard as prescribed for the entry level.
- 10. Provision for Supervisors: (l) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.
- (2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practical to supervise their work by one supervisor, the Agency shall depute more number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.
- 11. Verification of conditions of License and review of license: (1) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private guards and supervisors of any private security agency.
- (2) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of license of such security agencies which may not have adhered to the conditions of ensuring

- 9. सुरक्षा गाडों के लिए शारीरिक स्वस्थता के मानक: (1) कोई व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में लगाये जाने या नियोजित किये जाने का पात्र होगा यदि वह नीचे यथा-विनिर्दिष्ट शारीरिक स्वस्थता के मानकों को पूरा करता है:-
 - (i) कद 160 सेमी (महिलाओं के लिए 150 सेमी); वजन, कद और वजन की मानक सारणी के अनुसार; सीना 4 सेमी फुलाव के साथ 80 सेमी. (महिलाओं के लिए सीनें की माप के लिए कोई न्यूनतम अपेक्षा नहीं होगी);
 - (ii) दृष्टि : दोष-शोधन के साथ या बिना दूर दृष्टि 6/6, नजदीक की दृष्टि 0.6/0.6, वर्णान्धता से मुक्त, सुरक्षा उपस्करों में प्रदर्शित रंग को पहचानने और भेद करने और अंग्रेजी वर्णमाला और अरबी अंकों के प्रदर्शन को पढ़ने और समझने में समर्थ;
 - (iii) अन्तर्वक्र जानु और सपाट पाव से मुक्त और छह मिनट में एक किलोमीटर दौड़ने में समर्थ;
 - (iv) श्रवण : विकार मुक्त; बोले गये स्वरों और सुरक्षा उपस्करों द्वारा उत्पन्न खतरे के संकेत को सुनने और उत्तर देने में समर्थ;
 - (v) अभ्यर्थी के पास तलाशी करने, वस्तुओं से व्यवहार करने और आवश्यकता की दशा में व्यक्तियों को अवरुद्ध करने के लिए बल प्रयोग करने का कौशल और सामर्थ्य होना चाहिए।
- (2) अध्यर्थी किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग के लक्षण से मुक्त होना चाहिए। वह किसी ऐसे रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए जिसके सेवा में के दौरान गुरुतर होने की सम्भावना हो या जिसके द्वारा उसे सेवा के लिए अनुपयुक्त बनाने की सम्भावना हो या जो जनता के स्वास्थ्य को संकटापन्न करे।
- (3) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके लिए कार्य करने वाला प्रत्येक सुरक्षा गार्ड उसकी पिछली चिकित्सा परीक्षा से प्रत्येक बारह मास के पश्चात् ऐसी परीक्षा करवाये ताकि उसके प्रवेश स्तर के लिए यथा-विहित शारीरिक मानक बनाये रखने को सुनिश्चित किया जा सके।
- 10. पर्यवेक्षकों के लिए उपबन्ध : (1) पन्द्रह से अनिधक प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए एक पर्यवेक्षक होगा।
- (2) यदि प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भिन्न-भिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं और उनके कार्य का पर्यवेक्षण एक पर्यवेक्षक द्वारा किया जाना व्यावहारिक नहीं है तो एजेंसी अधिक संख्या में पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त करेगी तािक कम से कम प्रत्येक छह प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।
- 11. अनुज्ञप्ति की शर्तों का सत्यापन और अनुज्ञप्ति का पुनर्विलोकन : (1) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या उसके अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यविक्षकों को दिये गये प्रशिक्षण और कौशल का सत्यापन कर सकेगा।
 - (2) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसी सुरक्षा एजेंसियों, जिन्होंने आवश्यक प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने वाली

- 12. Renewal of license: (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the license in Form VIII at least 45 days before the expiry of its validity as specified in sub-section (1) of section 8 of the Act.
 - (2) Every application for renewal of license shall be accompanied by :-
 - (a) a demand draft or banker's cheque showing the payment of fees as per sub-section (3) of section 7, payable to the Controlling Authority.
 - (b) Particulars of the applicant in Form II for verification of his antecedents.
 - (c) Affidavit of the applicant in Form III.
- 13. Conditions for renewal of license: The controlling authority shall not renew the license if:-
 - (i) the principal place of business of the licensee is not in the jurisdiction of the controlling authority;
 - (ii) the licensee has not filed application within time period as specified under sub-section (1) of section 8 of the Act;
 - the application form is not in the prescribed format or is not accompanied by the requisite fees/documents;
 - (iv) the licensee has violated the conditions of license;
 - (v) the District Superintendent of Police has sent adverse report against the licensee;
 - (vi) the Licensee has failed to provide training for its private security guards and supervisors as required under sub-section (2) of section 9 of the Act;

Provided that no order of refusal shall be made except after giving the applicant a reasonable opportunity of hearing.

- 14. Appeals and procedure: (1) Every appeal under sub-section (1) of section 14 of the Act shall be preferred in Form IX signed by the aggrieved person or his authorized advocate and presented to the appellate officer in person of sent to him by registered post.
- (2) The appeal shall be accompanied by a demand draft or bankers cheque of Rs. 1000/- payable to the Appellate Authority.
- 15. Register to be maintained by the Agency: The register required to be maintained under the Act by the Agency shall be in Form X.
 - 16. Photo identity card: (1) Every photo identity card issued by the Agency

- 12. अनुज्ञप्ति का नवीकरण: (1) प्रत्येक एजेंसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए उसकी विधिमान्यता की समाप्ति के कम से कम 45 दिन पूर्व, जैसािक अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट है, प्ररूप 8 में नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन करेगी।
 - (2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा :--
 - (क) धारा 7 की उप-धारा (3) के अनुसार फीस का संदाय दर्शित करने वाला मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो नियंत्रक प्राधिकारी को संदेय हो;
 - (ख) प्ररूप 2 में आवेदक की उसके पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए विशिष्टियाँ;
 - (ग) प्ररूप 3 में आवेदक का शपथ-पत्र ।
- 13. अनुज्ञप्ति के नवीकरण की शर्ते : (1) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करेगा, यदि :-
 - (i) अनुज्ञप्तिधारी के कारबार का मुख्य स्थान नियंत्रक प्राधिकारी की अधिकारिता में नहीं है;
 - (ii) अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर आवेदन फाइल नहीं किया है;
 - (iii) आवेदन प्ररूप विहित प्ररूप में नहीं है या उसके साथ अपेक्षित फीस/दस्तावेज नहीं हैं;
 - (iv) अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण किया है;
 - (v) जिला पुलिस अधीक्षक ने अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट भेजी है;
 - (vi) अनुज्ञप्तिधारी उसके प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन यथा-अपेक्षित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में विफल रहा है:

परन्तु इनकार का कोई भी आदेश आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

- 14. अपील और प्रक्रिया : (1) अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील प्ररूप 9 में की जायेगी, जो व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो और अपील अधिकारी को व्यक्तिश: प्रस्तुत की जायेगी या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी।
- (2) अपील के साथ अपील प्राधिकारी को संदेय 1000/- रु. का मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक होगा।
- 15. एजेंसी द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर: अधिनियम के अधीन एजेंसी द्वारा रखे जाने के लिए अभीक्षात रजिस्टर प्ररूप 10 में होगा।
 - 16. फोटो पहचान-पत्र : (1) धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन एजेन्सी दाग जागी किया

- (2) The photo identity card shall convey a full-face image in color, full name of the private security guard, name of the Agency and the identification number of the individual to whom the photo identity card is issued.
- (3) The photo identity card shall clearly indicate the individual's position in the Agency and the date up to which the photo-identity card is valid.
- (4) The photo identity card shall be maintained upto date and any change in the particulars shall be entered therein.
- (5) The photo-identity card issued to the private security guard shall be returned to the Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.
- (6) Any loss or theft of photo-identity card shall be immediately brought to the notice of the Agency that issued it.
- 17. Other conditions: (1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency shall issue and make it obligatory or its security guards to put on:
 - (a) an arm badge distinguishing the Agency;
 - (b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;
 - (c) whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket;
 - (d) shoes with eyelet and laces;
- (2) The clothes worn by the private security guard while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In particular they shall neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.
- (3) Every private security guard shall carry a notebook and a writing instrument with him.
- (4) Every private security guard while on active security duty shall wear and display photo-identity card issued under section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in conspicuous manner.

- (2) फोटो पहचान-पत्र में उस व्यक्ति, जिसे फोटो पहचान-पत्र जारी किया गया है, के पूरे चेहरे का रंगीन चित्र, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, एजेंसी का नाम और पहचान संख्यांक होगा।
- (3) फोटो पहचान-पत्र में उस व्यक्ति का एजेंसी में पद और वह तारीख, जिस तक फोटो पहचान-पत्र विधिमान्य है, स्पष्ट तौर पर उपदर्शित होगी।
- (4) फोटो पहचान-पत्र अद्यतन रखा जायेगा और विशिष्टियों में कोई भी परिवर्तन उसमें प्रविष्ट किया जायेगा।
- (5) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र उसे जारी करने वाली एजेंसी को तब लौटा दिया जायेगा जब प्राइवेट सुरक्षा गार्ड वहाँ लगा हुआ या नियोजित नहीं रहता है।
- (6) फोटो पहचान-पत्र की कोई भी हानि या उसकी चोरी उस एजेंसी के तुरन्त ध्यान में लायी जायेगी, जिसने उसे जारी किया है।
- 17. अन्य शर्ते: (1) इस बात के होने पर भी कि एजेंसी अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को इ्यूटी के दीरान वर्दी पहनने के आदेश दे या नहीं, प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी निम्नलिखित सामग्री जारी करेगी और अपने सुरक्षा गार्डों के लिए उसे पहनना आबद्धकर करेगी:—
 - (क) एजेंसी का सुभेदक आर्म बैज;
 - (ख) संगठन में उसके पद को उपदर्शित करने के लिए कंधा या सीना बैज;
 - (ग) डोरी से बंधी हुई सीटी बायीं जेब में;
 - (घ) फीतेदार जूते।
- (2) सिक्रिय ड्यूटी के दौरान प्राइवेट सुरक्षा गार्ड द्वारा पहने जाने वाले कपड़े ऐसे होंगे कि वे उसके क्षितापूर्ण पालन में अवरोध पैदा न करें। विशेष रूप से, न तो वे ज्यादा चुस्त होंगे और न ही ज्यादा ढीले कि संचरण या अंगों के झुकाव में अवरोध पैदा करें।
 - (3) प्रत्येक सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोटबुक और लिखने का उपकरण रखेगा।
- (4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड सिक्रय ड्यूटी के दौरान अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र अपने शरीर के कमर स्तर के ऊपर सबसे बाहर की पौशाक पर सहजदृश्य रीति से धारण और प्रदर्शित करेगा।

FORM-I

[See rule 3(1)]

APPLICATION FOR LICENSE TO ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY

To.

The Controlling Authority Government of Rajasthan Secretariat Jaipur.

Sub: License to run Private Security Agency.

Sir.

The undersigned (Individual / Firm / Company / Society) hereby applies for obtaining a license to run the business of Private Security Agency in the following districts of Rajasthan:-

- 1.
- 2
- 3.
- 4

The signatory of this application has been duly authorized by the Partners of the Firm/Directors of the Company/Society. The proof of the same is enclosed (Annexure).

The copy of the Partnership Deed/Memorandum of Article of Association of the Company/Society is annexed herewith (Annexure).

The list of Partners of the Firm/Directors of the Company/Society is as follows:-

S. No.	Name	Address

The demand draft/bankers cheque of amount Rs. payable to Home Secretary, Rajathan towards fees is attached. The details of which are as under :-

Demand Draft No./Bankers Cheque No.:

Date of Issue:

Issuing Bank:

Amount :

A self explanatory report about the proposed agency is annexed (Annexure). This write up highlights the profile of the agency including facilities available, particulars of uniform including its color for the security guards/supervisors of the agency, equipments to be used for security services and the facilities for imparting instructions to the security guards/supervisors.

Elcle	osure:	
-	Particulars in Form II Annexure - I to).	Signature
	Affidavits Form III Annexure to).	Name of the Applicant
1	Authorization by the partners/board of Directors of the company/Society for signing the application (Annexure).	Address of the Applicant
1	Memorandum of Article of Association/ Partnership Deed of the Firm/Company/ Society.	Tel. No. of the Applicant
	The profile of the agency (Annexure).	Date of Application
	Note: (i) Strike out whatever is not applicable. (ii) Incomplete/improperly filled up form will Acknowledge	
	The application received on has Register.	Signature of Controlling Authorit
of the		Signature of Controlling Authorit 1 (2)(b)] OF AGENCY FOR VARIFICATION OF
PAR	FORM I [See rule 3(2)(b) &	Signature of Controlling Authorit 2 12(2)(b)] OF AGENCY FOR VARIFICATION OF SOF APPLICANT
PAR Thun	FORM I [See rule 3(2)(b) & TICULRS OF APPLICANT FOR LICENSE HIS/HER ANTECEDENT	Signature of Controlling Authoric 1 (2)(2)(b)] OF AGENCY FOR VARIFICATION OF SOF APPLICANT Passport Size recent
PAR Thun Signa	FORM I [See rule 3(2)(b) & TICULRS OF APPLICANT FOR LICENSE HIS/HER ANTECEDENT ab Impression* of the Applicant	Signature of Controlling Authoric 1 2 12(2)(b)] OF AGENCY FOR VARIFICATION OF SOF APPLICANT Passport Size recent Photograph attested by
PAR Thun Signa	FORM I [See rule 3(2)(b) & TICULRS OF APPLICANT FOR LICENSE HIS/HER ANTECEDENT ab Impression* of the Applicant	Signature of Controlling Authorit 1
PAR Thun Signa	FORM I [See rule 3(2)(b) & TICULRS OF APPLICANT FOR LICENSE HIS/HER ANTECEDENT ab Impression* of the Applicant ature of the Applicant e of Attesting Officer gnation of Attesting Officer 1. Name of applicant (n BLOCK letters)	Signature of Controlling Authoric 1 2 12(2)(b)] 3 OF AGENCY FOR VARIFICATION OF SOF APPLICANT Passport Size recent Photograph attested by Class I Gazetted
PAR Thun Signa	FORM I [See rule 3(2)(b) & CTICULRS OF APPLICANT FOR LICENSE HIS/HER ANTECEDENT The Impression* of the Applicant	Signature of Controlling Authoric 1 2 12(2)(b)] 3 OF AGENCY FOR VARIFICATION OF SOF APPLICANT Passport Size recent Photograph attested by Class I Gazetted Officer rst name rious name(s):
PAR Thun Signa	FORM I [See rule 3(2)(b) & CTICULRS OF APPLICANT FOR LICENSE HIS/HER ANTECEDENT The Impression* of the Applicant ature of the Applicant e of Attesting Officer gnation of Attesting Officer 1. Name of applicant (n BLOCK letters) Last Name	Signature of Controlling Authori 2 (12(2)(b)] OF AGENCY FOR VARIFICATION OF SOF APPLICANT Passport Size recent Photograph attested by Class I Gazetted Officer rst name rious name(s):
PAR Thun Signa	FORM I [See rule 3(2)(b) & CTICULRS OF APPLICANT FOR LICENSE HIS/HER ANTECEDENT The Impression* of the Applicant ature of the Applicant e of Attesting Officer gnation of Attesting Officer 1. Name of applicant (n BLOCK letters) Last Name	Signature of Controlling Authoric 1 2 12(2)(b)] 3 OF AGENCY FOR VARIFICATION OF SOF APPLICANT Passport Size recent Photograph attested by Class I Gazetted Officer

सं	लग्नक:	
1.		हस्ताक्षर
	(उपाबन्ध 1 से)	
2.		आवेदक का नाम
	(उपाबंध से)	
3.		आवेदक का पता
	द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार (उपाबंध)	आवेदक का दूरभाष सं.
4.		outer in grant in
1	भागीदारी विलेख ।	
5.	एजेंसी की रूपरेखा	आवेदन की तारीख
	(उपाबंध)	
_		
Suc	ाण : i. जो लागू न हो उसे काट दें।	
	 जो लागू न हो उसे काट दे। अपूर्ण/अशुद्ध भरे गये प्ररूप स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 	
	अभिस्वीकृति	
	को प्राप्त आवेदन रजिस्टर के क्रम सं	
		नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्ष
	प्ररूप 2	
	[नियम 3(2) ख और 12 (2) (ख	व) देखिए।
	एजेंसी की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक की उसके पूर्ववृत्त	
MID?	विक की अँगूठा छाप	प्रथम वर्ग के राजपत्रित
		अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित
	विदक के हस्ताक्षर	हाल ही में खिंचा हुआ
अनु	प्रमाणन अधिकारी का नाम	पासपोर्ट आकार का फोटो
अनु	प्रमाणन अधिकारी का पदनाम	
1.	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
	अन्तिम नाम	प्रथम नाम
2.		
	यदि पूर्व में कभी नाम बदला गया हो तो पुराना (पुराने) नाम : .	
	यदि पूर्व में कभी नाम बदला गया हो तो पुराना (पुराने) नाम : .	
3,	लिंग : (पुरुष/महिला)	
3.	लिंग : (पुरुष/महिला)	
4.	िंग : (पुरुष/महिला) जन्म तारीख	

(d) Visible Identification Mark:

राजस्थान प्राइ	वेट सुरक्षा एउं	नेन्सी (विनियमन) नियम, 2	006
	ाता (डाक का		
मकान र	н. Н	Ke adi)	-
गली			मोहल्ला
डाकघर			ग्राम
जिला	************	***************************************	पुलिस थाना
7. वर्तमान	Danilla	- /	पिन कोड
गत्नान र	ानवासाय पत रं	ा (डाक का पूरा पता)	
मजान र	1		मोहल्ला
नायका	***********		ग्राम
जानावर चित्रक			पुलिस थाना
াগলা .		ģ	पिन कोड
 अपर वर्षि तारीख . 	र्गेत पते पर क	ब से रह रहा है	वर्षं
क्र. सं.	से	तक	पता
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
 विदेश में किया, उन 	रहने की दश सभी स्थानों	। में, इक्कीस वर्ष की आयु की विशिष्टियाँ :	प्राप्त करने के पश्चात् जहाँ एक वर्ष सं अधिक निवास
क्र. सं.	से	तक	पता
		11	401
 यदि विवा पति/पत्नी 		/पत्नी का पूरा नाम (बड़े अ नेवासीय पता	विश्वरों में)

।. आवेदक क			
(क) शैक्षा	णेक अर्हताएँ	:	
(स) पूर्व १	गारित पद, या	दे कोई हो, नियोजक के नाम	ा और पते सहित :
a.ti.	कालाव		नियोजक की विशिष्टियाँ
	से	तक	The state of the s
1.			
7.			
(ग) पिछल	ग नियोजन छ	ड़िने का कारण :	
	ान पहचान रि		

		The Rajasthan Private Security Agencies (Regula					ulation) Rules, 2				
1	l4. Nar	me, addi	ress of the A	gency and I	icense particu	lare of Drivete	Security Agend				
	Nar	operated earlier as partner of majority shareholder or Director : Name of Agency :									
	Add	Address :									
	Lice	Address: License particular:									
1:	o. Are	you a c	itizen of Ind	ia by : Birtl	n/Descent/Reg	istration/Natu	ralization (strik				
16					her citizenshi		V01				
*	(b)	If yes, in	ndicate coun	try(ies)		,	Yes/No				
17	/. (a)	Is any F	TR pending	against you	?		Yes/No				
18	3. (a)	Is any c		eeding pend	ing against yo	u in any court	? Yes/No				
SI. No.		IR No.	Case No.	Name Police St		Name of Court	Sections of Law				
1.	-		1								
2.			25								
					I OR CONTRACTOR						
SI. No.	(a) H (b) I FIR No.	Case No.	Name of Police Station	Name of Court	ls: Sections of Law	Date of Judgment	Whether discharge/				
SI. No.	(b) I	Case	Name of Police	Name of	ls: Sections of	Date of	Whether				
SI. No.	(b) I	Case	Name of Police	Name of	ls: Sections of	Date of	Whether discharge/ acquitted/				
SI, No.	(b) I FIR No.	Case No.	Name of Police	Name of	ls: Sections of	Date of	Whether discharge/ acquitted/				
SI. No.	Enclo (a) A (b)	Case No.	Name of Police Station	Name of	ls: Sections of	Date of	Whether discharge/ acquitted/				
SI. No.	Enclo (a) A (b) (c)	Case No.	Name of Police Station	Name of	ls: Sections of	Date of	Whether discharge/ acquitted/				
SI. No.	Enclo (a) A (b) (c) Self D	Case No.	nish the foll Name of Police Station in Form III. on: on given by	Name of Court	ls: Sections of Law	Date of Judgment	Whether discharge/ acquitted/				
SI. No.	Enclo (a) A (b) (c) Self D	Case No.	mish the foll Name of Police Station in Form III.	Name of Court	Sections of Law	Date of Judgment	Whether discharge/ acquitted/ convicted				
SI. No.	Enclo (a) A (b) (c) Self D	Case No.	nish the foll Name of Police Station in Form III. on: on given by	Name of Court	Sections of Law	Date of Judgment sures is true a	Whether discharge/ acquitted/ convicted				
SI. No. 1. 2. 20.	Enclo (a) A (b) (c) Self D	Case No.	nish the foll Name of Police Station in Form III. on: on given by	Name of Court	Sections of Law	Date of Judgment sures is true a	discharge/ acquitted/ convicted				

राजस्थान	प्राइवेट	सुरक्षा	एजेन्सी	(विनियमन)	नियम,	2006

69

14.	एजेंसी का नाम, पता और पूर्व में भागीदार या बहुसंख्या शेयरधारक या निदेशक के रूप में चलायी गयी प्राइवेट
	सुरक्षा एजेंसी की अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ :

एजेंसी का नाम :

पता:

अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ :

- 15. या आप जन्म/उद्भव/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण (जो लागू न हो उसे काट दें) से भारतीय नागरिक हैं :
- 16. (क) क्या आपने कभी कोई अन्य नागरिकता रखी है : हाँ/नहीं
 - (ख) यदि हाँ तो देश (देशों) के नाम उपदर्शित कीजिए:
- 17. (क) क्या आपके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट लम्बित है?

हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलम्न करें:

18. (क) क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई दाण्डिक कार्यवाही लम्बित है?

हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ तो निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-

क्र.सं.	प्र.सू.रि.सं.	मामला सं.	पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम	विधि की धाराएँ
1.					
2.					1,

19. (क) क्या आप कभी दोषसिद्ध/दोषमुक्त/उन्मोचित हुए हैं?

हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ तो निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-

क्र.सं.	प्र.सू. रि.सं.	मामला सं.	पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम	विधि की धाराएँ	निर्णय की तारीख	उन्मोचित/दोषमुक्त/ दोषसिद्ध
1.						at start	
2.					1 %		. 7

20	******
20	सलग्नक

1	FE 1	TILLIT	2 77	THEFT	THIN
٩	421	प्ररूप	3 4	शपय	чя

(평)

(刊)

21. स्व घोषणा

इस प्ररूप में मेरे द्वारा दी गयी सूचना और संलग्नक सही हैं और मैं इनकी यथार्थता के लिए पूर्णतया उत्तरदायी भूँ।

गारीख :

(आवेदक के हस्ताक्षर/अँगूठा छाप[‡])

स्थान :

पूरा नाम

(*गदि पुरुष है तो बार्ये हाथ की अँगूठा छाप और महिला है तो दायें हाथ की अँगूठा छाप)

Report of the Officer-in-Charge of the Police Station

				(To be filled	by SHO)							
1.	Whet	Whether the particulars furnished by the application are correct. Yes/No Whether the identity of the applicant in photo is correct Yes/No										
2.	Whet	her the	identity of th	ne applicant	in photo is cor	rect	Yes/No					
3.		ther the		residing at t	he address furi	nished by him	Yes/No					
4.	Whet the ap	Yes/No										
S. No.						r pending ation/trial						
5.	Whet	her app	licant have l	been convic	ted by any cou	rt	Yes/No					
SI. No.	FIR No.	Case No.	Name of Police Station	Name of Court	Sections of Law	Date of Judgment	Whether discharge/ acquitted/ convicted					
1.	1 1						7 - 2 2 1 2 2					
2												
6.	anti-s		dangerous		any activity wh c safety/public		Yes/No					
7.				tation of the	applicant is g	ood.	Yes/No					
8.			applicant ha service (if ye		ved/dismissed ls).	from any	Yes/No					
9.	Whet	her the	applicant has	s any links v	vith any banne	d organization	Yes/No					
10.	natio	nal secu		y/stability of	nt will pose a t f the nation an iblic order.		Yes/No					
				(Signati		n-Charge of P Police Station ice Seal						
Date:												
No							e					
					olice District							
1.		haracter been ver		ents of Shri		S/o						
2.					ed/not operate he details are a		ecurity agency					

पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की रिपोर्ट

		3	(थानार्ग	धिकारी द्वारा	भरा जाय)		
. क्या	आवेदक द्व	ारा दी गयी	विशिष्टियाँ सही	意:			हाँ/नहीं
			पहचान सही है :				हाँ/नहीं
			देये गये पते पर पि		से रहा है :		हाँ/नहीं
			वेषण/विचारण			त है :	हाँ/नहीं
			लम्बित प्र.सू.रि				
क्र.सं.	प्र.सू.र्		विधि की धाराएँ		स थाना		/विचारण लम्बित है
. क्या	आवेदक वि	केसी न्याया	लय द्वारा दोषसिः	द्ध ठहराया गर	या है		हाँ/नहीं
क्र.सं.	प्र.सू. रि.सं.	मामला सं.	पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम	विधि की धाराएँ	निर्णय की तारीख	उन्मोचित/दोषमुक्त/ दोषसिद्ध
1.			2			44.	
2.						10.00	
7. क्या 8. क्या 9. क्या 10. क्या	आवेदक व आवेदक व आवेदक व	ती सामान्य को किसी स का किसी प्र को अनुज्ञपि	तिबंधित संगठन	ः टाया/पदच्युः से कोई सम्पः तष्ट्रीय सुरक्षा	र्क है : :/अखण्डता/	राष्ट्र की स्थिरत	हाँ/नहीं हाँ/नहीं व्यौरा दीजिये) : हाँ/नहीं हाँ/नहीं ा के लिए आशंका होगी हाँ/नहीं
3414	अनुज्ञापा	का जारा ।	ह्या आचा साम्	ञ्चवस्या ना			अधिकारी के हस्ताक्षर)
					13	पुलिस थाने	
D				1		कार्यालय	मुहर
तारीख सं.							तारीख :
и.			प्रलि	स अधीक्षक	की रिपोर्ट		
				तला			
ा. श्री है।			पुत्र श्री		के चरित्र		ा सत्यापन कर लिया गया
	वेदक ने पूर न प्रकार है		. सुरक्षा एजेंसी उ	प्रकेले ही/अ	न्य की भागी	शरी में चलायी	है/नहीं चलायी है । ब्यौर

(5) That, there is no case or information registered against me in the police or with other competent authorities for committing or abetting the activities which are

(6) That I have not been dismissed or removed from any Government service on the

(7) That my company/firm/association is registered in India and no proprietor or majority share holder, as partner or director in this company/firm/association is

(8) That I will ensure the availability of training prescribed for the security grounds

Signature of the Applicant Name & full Address

prejudicial to national security or public order.

grounds of misconduct or moral turpitude.

(9) That I will abide by the conditions of the license.

citizen of country other than India.

and supervisors.

- आवेदक ऐसी कोई विशेष अर्हता, कौशल रखता है/नहीं रखता है, जो उसके प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी प्रचालन को सुकर बनाये। ब्यौरा निम्न प्रकार है:--

या

 इस कार्यालय ने आवेदक को प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी की अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया है।

जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर

जिला तारीख

मुहर

प्ररूप 3 [नियम 3(2)(ग) और 12(2)(ग) देखिये] शपथ-पत्र

[प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अधीन]

- मैं भारत का नागरिक हूँ;
- मुझे किसी भी कम्पनी के संप्रवर्तन, विरचना या प्रबन्ध (किसी कम्पनी के सम्बन्ध में मेरे द्वारा किये गये किसी कपट या अपकरण) के सम्बन्ध में किसी अपराध के लिए भारत या विदेश के किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है;
- मुझे भारत या विदेश के किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए विहित दण्ड दो वर्ष से कम का कारावास नहीं हो;
- मेरा ऐसे किसी संगठन या संगम के साथ किसी प्रकार का कोई सम्पर्क नहीं है, जो अपने ऐसे क्रियाकलापों के कारण प्रतिबंधित है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था की आशंका हो;
- 5. मेरे विरुद्ध पुलिस या किन्हीं भी अन्य सक्षम प्राधिकारियों के पास ऐसे क्रियाकलाप करने या उनका दुष्प्रेरण करने के लिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के प्रतिकूल हो, कोई मामला या सूचना रिजस्ट्रीकृत नहीं ि;
- मुझे किसी सरकारी सेवा से अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर पदच्युत या हटाया नहीं गया है;
- मेरी कम्पनी/फर्म/संगम भारत में रिजट्रीकृत है और भागीदार या निदेशक के रूप में इस कम्पनी/फर्म/संगम का कोई स्वत्वधारी या बहुसंख्य शेयरधारक भारत से भिन्न किसी देश का नागरिक नहीं है;
- मैं सुरक्षा गाडों और पर्यर्वेक्षकों के लिए विहित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करूँगा;
- मैं अनुज्ञप्ति की शतों का पालन करूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर नाम और पूरा पता

74			The Rajasthan	Private Security Agenc	cies (Regulation) Rules, 200
/4				Verification	
1				1 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	R/o
solem	nly declar	e that I	have read ove	r the above clauses (1 full knowledge.) to (8) with full sense. A
					gnature of the Applicant Name & Full Address
				FORM IV	value & Full Address
				[See rule 5]	
				ment of Rajasthan	
			AGE IN THE B	USINESS OF PRIVATE	SECURITY AGENCY
	No				Date
S	hri		(nan	ne of the applicant) S/o	is granted the license by th
(addre:	ss of the of e is valid up	flice). p to			th office at
	f Issue :			Full na	Signature ame of Controlling Officer Office Seal
				Renewal	Ollido Odli
S. No.	Renev	wed To	Date of Renewal	Reference of entry in the register	Signature and seal of
	110111	10	ronona	m the register	controlling officer
	100				
			IS	FORM V see rule 7(2)]	
PA	ARTICULI		PPLICANT FO		CURITY GUARD FOR
To,	The		********		
(Name of F	Private S	ecurity Agency	")	
Sir,			***************************************		
I l	hereby app ars are giv	oly for a en belov	ppointment as	Security Guard/Super	rvisors in your agency. My
Thumb	Impressio	n* of the	Applicant		Passport Size
Signatu	re of the A	pplican	t		Photograph
			***************************************		attested by Class
			Officer :		I Gazetted Officer

The Rajasthan Private Security Agencies (Regulation) Rules, 2006

76

आवेदक व	हा नाम (मोटे ३	नक्षरों में)	
अन्तिम ना	म		प्रथम नाम
क्या पहले	कभी नाम परिव	वर्तन किया गया है, पूर्व	वर्ती नाम
	ा का पूरा नाम		
	44		
स्थाई पता	(डाक का पूरा	पता)	
		,	मोहल्ला
			ग्राम
			पुलिस थाना
जिला			पिन कोड
वर्तमान नि	वासीय पता (इ	डाक का पूरा पता)	
	Control of the Contro		मोहल्ला
गली			ग्राम
डाकघर			पुलिस थाना
O(4)4/11			
- 1000 mm m m m m m m m m m m m m m m m m			पिन कोड
जिला दूरभाष सं.	./मोबाइल सं. त पते पर कब	से रह रहा है	
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख	/मोबाइल सं. त पते पर कब	से रह रहा है	
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख	/मोबाइल सं. त पते पर कब	से रह रहा है मास	
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख पिछले पाँ	/मोबाइल सं. त पते पर कब च वर्षों के दौरा	से रह रहा है मास म के निवासों का पता	वर्ष
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख पिछले पाँ क्र. सं.	/मोबाइल सं. त पते पर कब च वर्षों के दौरा	से रह रहा है मास म के निवासों का पता	वर्ष
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख पिछले पाँ क्र. सं.	/मोबाइल सं. त पते पर कब च वर्षों के दौरा	से रह रहा है मास म के निवासों का पता	वर्ष
जिला दूरभाव सं. ऊपर वर्णि तारीख पिछले पाँ क्र. सं.	/मोबाइल सं. त पते पर कब च वर्षों के दौरा	से रह रहा है मास म के निवासों का पता	वर्ष
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख पिछले पाँ क्र. सं. 1. 2. 3.	/मोबाइल सं. त पते पर कब व च वर्षों के दौरा से	से रह रहा है मास न के निवासों का पता तक	पता
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख पिछले पाँ क्र. सं. 1. 2. 3.	/मोबाइल सं. त पते पर कब च वर्षों के दौरा से	से रह रहा है मास न के निवासों का पता तक	पता
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख पिछले पाँ क्र. सं. 1. 2. 3.	/मोबाइल सं. त पते पर कब च वर्षों के दौरा से रहने की दशा में ने अधिक रहा है	से रह रहा है मास न के निवासों का पता तक	पता पता विशिष्टियाँ जहाँ इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख पिछले पाँ क्र. सं. 1. 2. 3.	/मोबाइल सं. त पते पर कब च वर्षों के दौरा से रहने की दशा में से अधिक रहा ह	से रह रहा है मास न के निवासों का पता तक	पता पता विशिष्टियाँ जहाँ इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पर्
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख पिछले पाँ क्र. सं. 1. 2. 3.	/मोबाइल सं. त पते पर कब च वर्षों के दौरा से रहने की दशा में से अधिक रहा ह	से रह रहा है मस के निवासों का पता तक र उन सभी स्थानों की ो :	पता पता विशिष्टियाँ जहाँ इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पर्
जिला दूरभाष सं. ऊपर वर्णि तारीख पिछले पाँ क्र. सं. 1. 2. 3.). विदेश में एक वर्ष से प्रा. सं.	/मोबाइल सं. त पते पर कब च वर्षों के दौरा से रहने की दशा में से अधिक रहा ह	से रह रहा है मास तक तक उन सभी स्थानों की ो : तक /पत्नी का पूरा नाम (मे	पता पता विशिष्टियाँ जहाँ इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पर्

1	(a) (b)	Educat	ls of Applicational Qualifications	cations:	long with nam	e and address	of employers		
S. No.			Period		T	ong with name and address of employers : Employer's particulars			
		Fn	om	To		- project o pe	articulars .		
	l		11.	965					
	2								
	(c) (d)	Reason Visible	for leaving l	last employn Mark:	nent :				
14	ope	iaicu ear	ner as partne	er of majority	shareholder of	r Director:	Security Agency		
	Add	iress :					***************************************		
	Lice	ense parti	icular :		***************************************				
15	. Are	you a ci	tizen of Ind not applicab	ia by : Birth	/Descent/Regi	stration/Natu	ralization (strike		
10	(a) (b)	Have you	ou ever possendicate coun	essed any oth	her citizenship):	Yes/No		
. 17	. (a)	Is any F	IR pending a	against you '	?		Yes/No		
18	(a) (b)	Is any cr If yes, fu	riminal proceurnish the fol	eeding pendi lowing detai	ing against you ils :	in any court	? Yes/No		
St. No.	1	FIR No.	Case No.	Name Police St	777	Name of Court	Sections of		
1.									
2.				4 1 1 1 1 1 1			7 7 7		
19.	(a) H	lave you If yes, fu	ever been c	onvicted/acc	quitted/dischar	ged ?	Yes/No		
SI. No.	FIR- No.	Case No.	Name of Police Station	Name of Court	Sections of Law	Date of Judgment	Whether discharge/ acquitted/ convicted		
1.					+	6	14.0		

20. Enclosures:

(a) Affidavit in Form III.

(b)

101

- 13. आवेदक का अन्य ब्यौरा :
 - (क) शैक्षणिक अर्हताएँ :
 - (ख) पूर्व धारित पद, यदि कोई हो, नियोजक का पूरा नाम और पता :

क्र.सं.	कालावधि		नियोजक की विशिष्टियाँ
	से	तक	
1.			
2.			

- (ग) पिछला नियोजन छोड़ने का कारण:
- (घ) दुश्यमान पहचान चिह्न
- 14. एजेंसी का नाम, पता और भागीदार या बहुसंख्या शेयरधारक या निदेशक के रूप में पूर्व में चलायी गयी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी की अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ:

एजेंसी का नाम:

पता:

अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ :

- क्या आप जन्म/उद्भव/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण (जो लागू न हो उसे काट दें) से भारतीय नागरिक हैं।
- 16. (क) क्या आपने कभी कोई अन्य नागरिकता रखी है?

हाँ/नहीं

- (ख) यदि हाँ तो देश (देशों) के नाम उपदर्शित कीजिए।
- 17. (क) क्या आपके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट लम्बित है?

हाँ/नहीं

- (ख) यदि हाँ तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न करें।
- 18. (क) क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई दाण्डिक कार्यवाही लम्बित है?

हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ तो निम्नलिखित च्यौरा दीजिए:

क्र.सं.	प्र.सू.रि.सं.	मामला सं.	पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम	विधि की धाराएँ
1.					
2.					

। ७. (क) क्या आप कभी दोषसिद्ध/दोषमुक्त/उन्मोचित हुए हैं?

हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ तो निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए :

un, ai,	प्र.सू. रि.सं.	मामला सं.	पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम	विधि की धाराएँ	निर्णय की तारीख	दोषसिद्ध/दोषमुक्त/ उन्मोचित
1.							
2.				-			

70.	स	œ.	2,0	G.

	P			-22	
-4	777	113211	2	TT	JULI TO ILLIE
-1	1.543	38.627.4	- 3	**	शपथपत्र

(班)

(il)

the applicant.

21. स्व घोषणा

इस प्ररूप में मेरे द्वारा दी गयी सूचना और संलम्नक सही हैं और मैं इनकी यथार्थता के लिए पूर्णतया उत्तरदायी है।

तारीख:

स्थान:

(आवेदक के हस्ताक्षर/अँगूठा छाप*)

पूरा नाम

(*यदि पुरुष है तो बायें हाथ की अँगूठा छाप और महिला है तो दायें हाथ की अँगूठा छाप)

एजेंसी द्वारा प्रमाण-पत्र (यदि सत्यापन उसके द्वारा किया गया हो) एजेंसी का प्रमाण-पत्र

यह अनुप्रमाणन किया जाता है कि एजेंसी ने उपर्युक्त प्ररूप में दी गयी विशिष्टियों/सूचना का सत्यापन कर लिया है और ये सही पायी गयी हैं और आवेदक में इस अधिनियम/नियमों के अधीन कोई निरर्हता नहीं है।

प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम तारीख

(यदि सत्यापन के लिए पुलिस को निर्दिष्ट है तो एजेंसी द्वारा भरा जाये)

प्रेषिती

जिला पुलिस अधीक्षक, जिला

महोदय.

कृपया ऊपर वर्णित आवेदक का चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापित करवायें और तत्प्रयोजन के लिये दिये गये स्तम्भों में रिपोर्ट दें। विहित फीस के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक का ब्यौरा निम्नलिखित है:

मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक :

जारी होने की तारीख:

जारी करने वाले बैंक का नाम:

रकम:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एजेंसी का नाम अनुज्ञप्ति सं.

पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की रिपोर्ट

(थानाधिकारी द्वारा भरा जाये)

1.	नया आवेदक द्वारा दी गयी विशिष्टियाँ सही हैं	हाँ/नहीं
2.	गया फोटो में आवेदक की पहचान सही है	हाँ/नहीं
3.	क्या आवेदक उसके द्वारा दिये गये पते पर पिछले एक वर्ष क्रो रह रहा है	हाँ/नहीं
4.	यया आवेदक के विरुद्ध अन्वेषण/विचारण के लिए कोई मामला लम्बित है	हाँ/नहीं

S. No.	FIR No. Sections of		f Law	Police Station		er pending gation/trial	
-	1175	,					
					icted by any cou	irt	Yes/No
S. No.	FIR No.	Case No.	Name of Police Station	Name o Court	f Sections of Law	Date of Judgment	Whether discharge/ acquitted/ convicted
1.							
2							
6.	anti-se (if yes	ocial or , give de	dangerous tetails).	to the pub	any activity wh lic safety/public	order	Yes/No
7.					ne applicant is g		Yes/No
8.	Wheth Gover	ner the a	applicant has ervice (if yes	been rem g, give deta	oved/dismissed nils).	from any	Yes/No
9.	Wheth	er the a	pplicant has	any links	with any banned	d organization	Yes/No
10.	nation	al secur	ig license to rity/integrity, t be in the in	stability of	ant will pose a the first and the mation and the ublic order.	hreat to the	Yes/No
				(Signa		n-Charge of Po Police Station ce Seal	lice Station)
ate:							
		Report			olice District up by SP)		
As	per poli	ce verifi			S/	0	is
iitable/i	insuita	ble to be	e engaged as	Security	Guard/Supervise	or.	15
					Signatur	re Superintend	lent of Police
			4				
					Seal		
),							
Add	ress of	Agenc	y				

क्र.सं.	प्र.सू.	रि.सं.	विधि की धाराएँ	पुलि	स थाना	लम्बित ः	अन्वेषण/विचारण
5. क्या	आवेदक वि	केसी न्याया	लय द्वारा दोषसिः	द्ध ठहराया गर	ग है	+	हाँ/नही
क्र.सं.	प्र.सू. रि.सं.	मामला सं.	पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम	विधि की धाराएँ	निर्णय की तारीख	उन्मोचित/दोषमुक्त/ दोषसिद्ध
1.	1,11,11	***	. 44 414	40.404	4104	uitig	पापासक
2.							
लिए	खतरनाक	है (यदि हाँ	क्रेयाकलाप में ल तो ब्यौरा दीजिए ख्याति अच्छी है)	ो समाजविरोध	ी है या लोक र	पुरक्षा/लोक व्यवस्था वे हाँ/नर्ह हाँ/नर्ह
			कारी सेवा से हट			(यदि हाँ तो ब	
). क्याः	आवंदक क	ा किसी प्रो	तेबंधित संगठन र	ने कोई सम्पर्व	: 8 :		हाँ/नही
						/राष्ट्र की स्थि	रता की आशंका है औ
अनुज्ञ	प्ति का जा	री किया ज	ाना लोक व्यवस्थ	था के हित में	नहीं होगा :		हौं/नहीं
				(5	ुलिस थाने के	भारसाधक आ	धेकारी के हस्ताक्षर)
						पुलिस थाने का	नाम
गरीख						कार्यालय मुह	इर -
		Ţ	ुलिस अधीक्षक	जिला	की	रिपोर्ट	
			(4.	अ. द्वारा भरा	जाये)	: 1 6	
पुलिस	स सत्यापन	रिपोर्ट के ३	अनुसार श्री		पुत्र श्री		. सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक
			युक्त/अनुपयुक्त है				
					जिला पु	लिस अधीक्षक	के हस्ताक्षर
					नाम		
					' मुहर		
विती							
एजेंस) का नाम .		**********				
บจัน	का पता .		Table 10 Table 1				

FORM VI

[See rule 7(7)]

CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE (To be issued by the Agency)

Agencies Rules, 2006 for the ensupervisor from	ngagement or employment as a Private Security Guard ill
Agencies Rules, 2006 for the ensupervisor from ti	ngagement or employment as a Private Security Guard ill
Agencies Rules, 2006 for the ensupervisor from ti	ngagement or employment as a Private Security Guard ill
Agencies Rules, 2006 for the en supervisor from ti	ngagement or employment as a Private Security Guard ill
Agencies Rules, 2006 for the ensupervisor from ti	ngagement or employment as a Private Security Guard ill
Agencies Rules, 2006 for the en supervisor from ti	ngagement or employment as a Private Security Guard ill
	- The second of
has completed the prescribed to	raining as prescribed in Rule 8 of the Private Securit
-TOO TO	son/daughter of resident of
License No.	
Address of the Training Agency	
Serial number Name of the Training Agency	
Access to the second	
7	TRAINING CERTIFICATE
	[See rule 8(3)]
	FORM VII
Date of Issue :	
	Address/Tel. No.
	Designation
	Name
receipt and the second	Signature
Present Address :	Issuing Authority
Profession : Present Address :	
Educational Qualification :	
Place of Birth:	
Date of Rirth ·	
that he has not been convicted by Date of Birth:	y any court.
that he has not been convicted by	following address continuously for the last one year and y any court.

प्ररूप 6

[नियम 7(7) देखिए]

चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र (एजेंसी द्वारा जारी किया जाये)

विशिष्टियाँ नीचे	णेत किया जाता है कि श्री/श्रीमती दो गयी हैं, का नैतिक चरित्र और ख ते पर रह रहा है और वह किसी न्यायाल	याति अच्छी है और कि	आवेदक पिछले एक	जिसकी वर्ष से लगातार
जन्म तारीख				
जन्म स्थान	1			

शैक्षणिक अर्हताएँ : व्यवसाय : वर्तमान पता :

जारी करने वाला प्राधिकारी हस्ताक्षर

नाम पदनाम पता और क

पता और दूरभाष सं.

जारी करने की तारीख

प्ररूप 7 [नियम 8(3) देखिये]

प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

फ्र. स.										
प्रशिक्षण एजेंसी क	त नाम	:								
प्रशिक्षण एजेंसी व	न पता	:								
अनुज्ञप्ति सं.		:								
से सुरक्षा एजेंसी निय	त	क पारवेट स	रक्षा गार्ड/प	र्यवेक्षक के	श्री रूप में लगा पूर्ण कर लिय	ये जाने व	या नियोज	न के रि	लए प्रा	इवट
अमाजित है।								- 2121	977	

प्रमाण-पत्र धारक के हस्ताक्षर जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम

पहोटी

जारी करने का स्थान : जारी करने की तारीख :

FORM VIII

[See rule 12(1)]

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENSE

To			
To,			-
	The Controlling Authority		
	Government of Rajasthan		
	Secretariat		
	Jaipur		
	Sub. : Renewal of License No		1
Sir,		. 1	

The undersigned (Individual/Firm/Company/Society) holds licence No. issued on and valid upto for running the business of security agency under your jurisdiction. Kindly renew the license.

The particulars of the Applicants/all Partners of the Firm/All Directors of the Company/ Society in the format prescribed in Form II alongwith the affidavit in the format prescribed in Form III are annexed herewith as Annexure I to

The signatory of this application has been duly authorized by the Partners of the Firm/Directors of the Company/Society. The proof of the same is enclosed (Annexure).

The copy of the Partnership Deed/Memorandum of Article of Association of the Company/Society is annexed herewith (Annexure).

The list of Partners of the Firm/Directors of the Company/Society is as follows:-

CNI		i y y is as tollons .
S. No.	Name	Address

Demand Draft No./Bankers Cheque No.:

Date of Issue:

Address of Issuing Bank:

Amount:

Self Declaration

The applicant agency has observed all the conditions of license and has been functioning in accordance with the Act and the Rules.

Signature
Name of the Applicant
Address of the Applicant
Telephone No. of the Applicant
Date of Application:

Enclosures:

1.

2.

प्ररूप 8

[नियम 12(1) देखिये]

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

प्रेषिती, नियंत्रक प्राधिकारी,

> राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

विषय : अनुज्ञप्ति सं. का नवीकरण ।

महोदय.

अधोहस्ताक्षरकर्ता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी) आपकी अधिकारिता के अधीन सुरक्षा एजेंसी का कारबार चलाने के लिए को जारी तक विधिमान्य अनुज्ञप्ति सं. धारित करता है। कृपया इस अनुज्ञप्ति का नवीकरण करें।

आवेदकों/फर्म के भागीदारों/कम्पनी/सोसाइटी के सभी निदेशकों की विशिष्टियाँ प्ररूप '2' में विहित प्ररूप में और प्ररूप '2' में विहित प्ररूप में शपथ-पत्र उपाबंध से तक के रूप में इसके साथ संलग्न हैं। इस आवेदन का हस्ताक्षरकर्ता फर्म के भागीदारों/कम्पनी/सोसाइटी के निदेशकों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत

है। उसका सबूत (उपाबंध) संलम्न है। भागीदार विलेख/कम्पनी/सोसाइटी का संगम अनुच्छेद ज्ञापन की प्रति (उपाबंध) इसके साथ संलग्न है। फर्म के भागीदारों/कम्पनी/सोसाइटी के निदेशकों की सूची निम्नलिखित है :

क्र. सं.	नाम	पता
200		

फीस के पेटे गृह सचिव, राजस्थान को संदेय रु. का मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक इसके साथ संलग्न है। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

माँगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सं.

जारी होने की तारीख

जारी करने वाले बैंक का पता

एकम

11

स्व घोषणा

आवेदक एजेंसी ने सभी शर्तों का पालन किया है और वह अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्य कर रही

हस्ताक्षर आवेदक का नाम आवेदक का पता आवेदक का दूरभाष सं. आवेदन की तारीख

संलमक :

1.

2.

	Note:					
		out whatever !				
	(ii) Incom	out whatever is	filled up form v	will NOT be a		
_		rmpropert			ccepted.	
	The applica	tion received as	Acknowledg		/e.o.	
the I	Register.	tion received of	1 1	ias been enter	red at serial N	Vo o
				Signat	ure of Contro	olling Authority
			FORM E	K		
areas			[See rule 1			
FOR	M FOR APP	EAL U/S 14 OF	PRIVATE SECU	RITY AGEN	CIES (REGU	LATION) ACT
To,						
	The Principa Government	al Secretary Hon of Rajasthan	ne			

	Subject :	Appeal against dated	the order of the	Home Secreta	ry, Rajasthan	No
	Appellant -		Name:			
			Father's Name	::		
	mı ı		Address:			
of the	Home Secre	amed appellant etary Rajasthan	files this appeal on the grounds	aggrieved by stated below:	the above m	entioned order
and g	The document rant me relief	its in support ar as under :	e enclosed herev	vith. Kindly s	et aside the ir	npugned order
••••••						
						ature
					(Name of th Address	e Applicant)
			FORM X			
			(See rule 15			
		REG	STER OF PART	TCULARS		
		(Pa	rt I Managemen	t details)		
SI.	Name of			Permanent	Nationality	Date of
No.	person(s			Address		joining/
	managin	g name	.phone No.	100000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	leaving the
_						Agency

क्र. सं.	प्रबंध करने वाले व्यक्ति का नाम	The second second second second	वर्तमान पता और दूरभाष सं.	स्थाई पता	राष्ट्रीयता	एजेंसी में पदग्रहण/ उसे छोड़ने की तारीख
1.			*			

(Part II Private Security Guards and Supervisor)

SI. No.	Name of Supervisor	Father's Name	Present address and phon No.	Date of joining/ leaving the Agency		manent dress	Photo- graph	No.	Salary with date
1.									
2.									
			(Par	t III Custome	ers)				
SI. No.	Name of the Customer ar phone No.	nd place	ress of the ce where curity is rovided	Number and ranks of Security Guards provided		Date of commencement of service		Date of discontinuation of services	
			(Part	IV Duty Ro	ster)	3			
Sl. No.	Name of t Private Security Gu Supervis	ard/	ddress of the place of duty	Whether provide any arm ammuniti	d s/	of cor	and time mmence- of duty	of e	and time nding duty

FORM XI

(See rule 16)

PHOTO-IDENTITY CARD FOR PRIVATE SECURITY GUARD/SUPERVISOR

(Name of the Private Security Agency)

Name Official Designation	Photograph of
Identification No.	the holder duly attested by the
Date of issue	issuing
Valid up to	authority

Signature of the issuing authority Official Seal

	-		-	-4-		í
(भाग-2	प्राडवट	सुरक्षा	गाड	आर	पर्यवेक्षक)

क्र. सं.	पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष सं.	एजेंसी पदग्रहण/ उसे छोड़ने की तारीख	स्थाई पता	फोटो	बैज सं.	वेतन और तारीख
1.								

(भाग-3 ग्राहक)

क्र. सं.	ग्राहक का नाम और दूरभाष सं.	स्थान का पता जहाँ सुरक्षा उपलब्ध करायी जानी है।	उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गाडौँ की रैंक और संख्यांक	सेवाओं के प्रारम्भ की तारीख	सेवाओं को बंद करने की तारीख
-1.					1: 1

क्र. सं.	प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/ पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी के स्थान का पता	क्या कोई आयुध/ गोला बारूद उपलब्ध कराया गया है	ड्यूटी के प्रारम्भ की तारीख और समय	ड्यूटी समाप्ति की तारीख और समय
1.				- 4	

प्रारूप 11 [नियम 16 देखिये]

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के लिए फोटो पहचान-पत्र (प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी का नाम)

धारक का जारी करने वाले अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित फोटो

नाम	
पहचान सं	
जारी करने की तारीख	तक विधिमान्य
कार्श्वधारक के हस्ताक्षर	
जारी करने वाले प्रा	धिकारी के हस्ताक्षर
कार्याल	ाय मुहर

¹कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :--

- प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति हेतुं निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये प्रस्तुत किये जावे ।
- सुरक्षा एजेन्सी के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र अथवा प्रबन्धन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम,
 2005 के प्रावधानों के अनुरूप हो।
- अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए किसी एजेन्सी द्वारा प्रत्येक आवेदन प्रपत्र-1 में तीन प्रतियों में नियंत्रक प्राधिकारी को किया जायेगा।
- 4. साझेदारी फर्म के साझेदारों/कम्पनी के निदेशकों/सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु मुख्य आवेदक को प्राधिकृत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- आवेदक के हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर करवाया जाना आवश्यक है एवं आवेदक सदस्यों की हाल ही में खिचीं हुई पासपोर्ट आकार की फोटो प्रथम वर्ग के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए।
- 6. फीस का संदाय दर्शित करने वाला मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो Controlling Authority. Director General, Civil Defence & Homeguard, Rajasthan, Jaipur के नाम हो। फीस के पेटे रकम, एक जिले के लिए 5,000 रुपये/एक से अधिक व पाँच जिले तक 10,000 रुपये व पाँच जिले से अधिक तथा समस्त राजस्थान के लिए 25,000 रुपये होगी। अनुज्ञप्ति नामंजूर होने की स्थिति में फीस राशि आवेदक को नहीं लौटाई जायेगी।
- प्रपत्र 2 तीन प्रतियों में आवेदक एवं सदस्यों द्वारा पृथक्-पृथक् भरा जायेगा जिसमें उसके सत्यापन हेतु
 पूर्ण विवरण है।
- प्रपत्र 3 में आवेदक व सदस्यों का पृथक्-पृथक् शपथ-पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे ।
- राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रिजस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- साझेदारों की सूची अधवा कम्पनी के अंशधारकों की सूची।
- 11. साझेदारी/कम्पनी/सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- पार्टनरशिप डीड/कम्पनी मेमोरेण्डम/सोसायटी बायलाज की प्रतिलिपि।
- कम्पनीज अधिनियम, 1956 का फार्म 32 संलग्न है तो हटाये और जोड़े गये सदस्यों का तारीखबार संक्षिप्त विवरण।
- आवेदक एवं सदस्यों की शिक्षा प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि ।

यह केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिये है ।

- 15. पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/वोटर पहचान-पत्र की प्रतिलिपि।
- 16. सुरक्षा एजेन्सी को प्रस्तावित अनुज्ञप्ति की अविध 5 वर्ष तक के निमित्त राजस्थान में कार्यालय/ प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भवन/भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व अधिकार (स्वयं की भूमि/भवन के प्रपत्र अथवा लीज डीड)।
- 17. अधिनियम, 2005 की धारा 6, जिसमें कोई शर्त हटायी नहीं गई है, के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग।
- 18. पुलिस अथवा किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद लम्बित नहीं होने बाबत अण्डरटेकिंग।
- अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कोई अनुज्ञप्ति पूर्व में प्राप्त नहीं होने तथा बिना अनुज्ञप्ति वर्तमान में राजस्थान में व्यवसाय नहीं करने बाबत अण्डरटेकिंग।
- अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के बाद अनुज्ञप्ति के आधार पर अपने सुरक्षा गार्ड को अन्य एजेन्सी को उपलब्ध नहीं कराने बाबत अण्डरटेकिंग।
- 21. गार्डस एवं सुपरवाईजर की नियुक्ति किये जाने से पूर्व उनको अधिनियम, 2005 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेनिंग दिये जाने बाबत अण्डरटेकिंग।
- 22. अधिनियम, 2005 की धारा 11 तथा नियम 2006 के नियम 15 के प्रावधानों के अनुरूप रजिस्टर संधारित किये जाने बाबत अण्डरटेकिंग।
- 23. अधिनियम, 2005 की घारा 18(2) के अन्तर्गत पुलिस एवं अन्य अधिकारियों द्वारा सत्यापन अथवा जाँच/निरीक्षण की कार्यवाही के दौरान सहयोग किये जाने बाबत अण्डरटेकिंग।
- 24. अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अन्तर्गत सेना व पुलिस से मिलती जुलती वर्दी नहीं पहनने संबंधी अण्डरटेकिंग।
- 25. E.P.F., E.S.I. and Service Tax के रिजस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति अथवा लाइसेन्स प्राप्ति से 6 माह की अविध में रिजस्टेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अण्डरटेकिंग।
- 26. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र के तीन सैट सत्यापन के लिए नियंत्रक प्राधिकारी सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक, (जहाँ एजेन्सी अपने क्रिया-कलाप प्रारम्भ करने का आशय रखती है) को उसकी रिपोर्ट निराक्षेप प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए भेजेगा।
- 27. आवेदक के द्वारा एक से अधिक बताये गये पतों की संख्या के अनुसार पुलिस सत्यापन हेतु अतिरिक्त प्रतिशिपियाँ।
- 28. प्रपत्र 2 में पुलिस स्टेशन एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय/पुलिस कमिश्नर कार्यालय का पता भी अवश्य अंकित करें।

Address: Controlling Authority

Director General

Civil Defence & Homeguard

Jalebi Chowk, Jaipur, Rajasthan